



UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

VOLUME-XIII

JUL-2023 TO SEP-2023

ISSUE-III



e-NEWSLETTER

QUARTERLY NEWSLETTER OF UTTARAKHAND SLISA
COMPILED BY

MR. SAHDEV SINGH, MEMBER SECRETARY, UKSLISA

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,

e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

website : www.slsa.uk.gov.in

Portal For Free Legal Aid: <https://uklegalaidservices.uk.gov.in>

Facebook Link: <https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa>

Facebook Page Link: <https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873>

Youtube Link: <https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ>

TOLL FREE NO. 18001804000, 15100



UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITAL



Hon'ble Mr. Justice Vipin Sanghi
Hon'ble Patron-in-Chief, UKSLA, Nainital



Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Tiwari,
Hon'ble Executive Chairman, UKSLA, Nainital



Hon'ble Mr. Justice Ravindra Maithani
Hon'ble Chairman, HCLSC, Nainital



Mr. Sahdev Singh,
Member Secretary, UKSLA, Nainital



Mr. Sayed Gufran,
Officer on Special Duty, UKSLA, Nainital

E-NEWSLETTER FOR JULY-2023 TO SEPTEMBER-2023

FOUR (04) DAYS LEGAL SERVICES & AWARENESS STALL AT NANDASTHAMI MAHOTSAV:

As per directions of the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA, 04 days long campaign were carried out by the Uttarakhand SLSA in cooperation with DLSA Nainital in the regional fare namely **Nandashtami Mahotsav** at Nainital by setting-up a Legal Aid Services Stall at the said Nandasthami congregation from 23.09.2023 to 26.09.2023.

On 26.09.2023, the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA and Hon'ble Judges of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, the Registrar General and Registrars of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Member Secretary, Uttarakhand SLSA, the District Judge/Chairperson and Secretary of DLSA Nainital, Officer on Special Duty attended the legal services & awareness camp. Staff of Hon'ble High Court and Uttarakhand SLSA, PLVs and Panel Lawyers of DLSA Nainital were also participated the said programme. Further, **12 Wheelchair** and **06 Crutches** were also provided to the disabled persons by the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA and by the Hon'ble Judges of the Hon'ble High Court of Uttarakhand.

During the said period total **725** persons/visitors including legal aid seekers have visited the legal services and awareness stall set up by the Uttarakhand SLSA.

It is also kindly submitted that the services of Panel Lawyers have also been made available to the legal aid seekers. During the period total 34 persons/litigants/legal aid seekers were benefited by writing their applications for legal aid, to avail scheme benefit, providing them legal aid/advice.

During the said campaign **8850 Saral Kanooni Gyan Mala (SKGM)** booklets were picked-up/received by the visitors as per their requirements.







MEGA/MULTI-PURPOSE LEGAL SERVICES & AWARENESS CAMP

ON 09.07.2023 AT GIC, DEVALTHAL, PITHORAGARH:

A Multi-Purpose Legal Services & Awareness Programme was conducted by the DLSA Pithoragarh on 09th July, 2023 at T.S. Badesa Govt. Inter College, Devalthal, Pithoragarh. The said multi-purpose camp was graced by the benign presence of the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA, Nainital. The said Camp was attended by the District Judge/Chairperson and Secretary, DLSA, Pithoragarh, District Magistrate, SSP of Pithoragarh, Judicial Officers and Advocates of the District, Panel Lawyers, PLVs and students of schools/colleges etc. total approx. 545 common masses/local people have attended the said multi-purpose camp and get benefited as per their requirements.

During the Preprogramme 52 disabled persons were provided **Wheelchair & Crutches**. 15 farmers/persons were get benefited by providing them **Agriculture Package**. 55 persons were provided **Hearing Aid Machine. Picker and Madua Seed** were also given to the

presented **Raji Community** women. 55 persons were get benefited by **health check-up and 65 by providing medicine. Nukkad Natak** on the drug de-addiction was also presented by the students of Green Valley Schools.

People at large were also made aware about 112 Police Helpline Number, 1930 Cyber Helpline Number. Different Govt. Departments have also set up their stalls to aware the common mass about different kind of pension and Govt. Welfare Schemes.



MULTI-PURPOSE CAMP ON 20.08.2023 AT GIC, KHIRKHET, RANIKHET ALMORA:

DLSA Almora organized a Multipurpose/Mega Legal Awareness Camp on 20.08.2023 as per New Module Legal Services Camp designed by NALSA, at GIC, Khirkhet, Ranikhet. The said multi-purpose legal services camp was organized in the benign presence of the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA and attended by the District Judge/Chairperson & Secretary, DLSA Almora, Civil Judge Ranikhet. The said camp was organized in cooperation with Hans Cultural Foundation-Uttarakhand.

Stalls of Health Department, Social Welfare, Child Development, Agricultural, Animal Husbandry, Civil Supply & Forest Department etc. The said programme was attended by 3500 approx. persons of the locality and most of them get benefited by addressing their daily life issues, legal programmes including welfare schemes run by the Central/State Government.

Total **504** Persons were get benefited by providing them Wheelchair, Crutches, Hearing Aid, health check-up, by providing them different kind of Certificates through e-Services, Adhar Card Update, benefits of Widow/Old AGE/Disability Pension & Self Employment, glasses, crutches, backpain belt, Agricultura Equipment, Govt. Welfare Schemes, Disability Card, Counseling by Sericultural Development Department, resolved issues of drinking water connection etc.



NATIONAL LOK ADALAT ORGANIZED ON 09.09.2023:

During the period July-2023 to September-2023, National Lok Adalat was organized on 09.09.2023 in all District Legal Services Authorities including Outlying Courts throughout the State of Uttarakhand. In the said National Lok Adalat total 10941 cases were referred and out of them total **9644** cases were settled amicably and a sum of Rs. 60,43,62,513/- were finalized as settlement amount.

During the said National Lok Adalat, total 16378 Pre-Litigation cases were taken-up and out of them **12029** cases were settled amicably and Rs. 22,86,06,101/- were realized as settlement amount.

The National Lok Adalat was also organized in the Quasi-Judicial Courts such as Consumer Courts and Debt Recovery Tribunals on 09.09.2023. Total 60 cases were referred in such Quashi-Judicial Courts and out of them **34** were settled and Rs. 15,47,48,969/- were realized as settlement amount.

BAGESHWAR

National Lok Adalat organized on 09.09.2023 at District Court Bageshwar



Secretary, DLSA Bageshwar convened pre-meeting with ARTO & Police Officers for successful of upcoming National Lok Adalat 09.09.2023



Pre-Meeting conducted on 04.08.2023 for the successful organization of upcoming National Lok Adalat 09.09.2023 was held between Secretary, DLSA and Bank Managers.



Pre-Meeting for the successful organization of upcoming National Lok Adalat was held between Secretary, DLSA and Advocates.



CHAMPAWAT

National Lok Adalat organized by DLSA Champawat on 09.09.2023



RUDRAPRAYAG

National Lok Adalat organized at District Court Rudraprayag on 09.09.2023.



U.S. NAGAR

Pre-meeting on 18.08.2023 by DLSA U.S. Nagar for upcoming National Lok Adalat 09.09.2023 with Judicial Officers.



UTTARKASHI

Pre-meeting on 26.08.2023 by DLSA Uttarkashi for upcoming National Lok Adalat 09.09.2023 with Judicial Officers & Advocates.



Secretary DLSA, Uttarkashi convened Pre-Litigation Meeting with Bank Representatives on 08.09.2023 for upcoming National Lok Adalat.



Pre-Meeting with Bank Managers for upcoming National Lok Adalat 09.09.2023 by DLSA Uttarkashi at District Court.



National Lok Adalat on 09.09.2023 as per NALSA direction.



ONE MONTH LONG AWARENESS DRIVE ON "IMPORTANCE OF TREES FOR SURVIVAL OF MANKIND" & "TREE PLANTATION AND ENVIRONMENT PROTECTION" ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FROM 21ST JUNE, 2023 TO 21ST JULY, 2023

Plantation by Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA on 12.08.2023 at GIC, Van Panchayat Danya, Almora in presence of CJM, Almora and Secretary, DLSA Almora and others.



Trees are indispensable for our life. Our existence without trees is unimaginable. Plantation is one of the essential tools to maintain the ecosystem of earth and nourish humanity as well as all other living beings. Trees provide oxygen, improve air quality, help in climate, conserve water, preserve soil and support wild life. Moreover, trees give us our life's essentials items such as food, shelter and medicines.

Having considered this issue, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was of the view that plantation should be of utmost concern to us in this appalling situation of increasing deforestation and for this, dedicated awareness drive as well as other similar programmes are required to be carried out throughout the State of Uttarakhand.

In order to make implement the aforesaid drive at grass-root level, Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was pleased to approve to organize a one month long awareness drive as well as similar programmes based on **"Importance of Trees for Survival of Mankind"** & **"Tree Plantation and Environment Protection"** in the State of Uttarakhand w.e.f. 21st June, 2023 to 21st July, 2023.

To make this drive a success, certain activities were to be carried out by the District Legal Services Authorities during the aforesaid period. A glimpse look of such activities is hereunder:-

- (i) Organize Plantation Drive in Court campuses, DLSA's campuses, Schools, Colleges, Government Offices and other prominent places with the help of Forest Department/Horticulture Department.*
- (ii) During the Plantation Drive, apart from other plants, medicinal and fruit plants may also be planted.*
- (iii) Ensure proper care and regular watering of plants/trees.*
- (iv) Conduct legal literacy and awareness camps as well as other similar programmes relating to Protection of Environmental in Schools, Colleges and Universities and to encourage students to plant trees and make our earth green.*
- (v) Organize awareness Rally of school's children highlighting the importance of trees plantation and environment protection.*
- (vi) Organize Radio Talk Show or Nukkad Natak on spreading awareness on importance of Tree Plantation and Environment Protection.*
- (vii) Conduct Drawing/Slogan/Essay Competition especially on the subject of **"Importance of Trees for Survival of Mankind"** & **"Tree Plantation and Environment Protection"** in schools in coordination with the School Administration.*
- (viii) Print brochures/pamphlets highlighting the importance of Trees for survival of mankind and ensure its proper distribution to the general masses for the awareness purpose.*
- (ix) Ensure the active participation and coordination of all the stakeholders in this event.*
- (x) Ensure wider and adequate publicity of this Drive through Local T.V. Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform. Proper media briefing may be ensured.*

In compliance of the aforementioned directions, a report was sought from all the District Legal Services Authorities with regard to number of plants planted, kind of plants and number of rural and urban areas covered during the aforesaid one month plantation drive. In this regard, a consolidated report on the basis of the information provided by the DLSAs is prepared, which is hereunder: -

S.N.	Name of the District	Number of Plants planted	Kind of plants	Number of rural and urban areas covered (Village/Town areas, etc.)
1.	Almora	1258 (Approx.)	1. Fruit Plants -Guava, Orange, Peach, Lemon, Pomegranate. 2. Medicinal Plants -Bay Leaf. 3. Shade Trees -Devdar, Baanj, Utish, Pahiya, Pipal. 4. Other Plants -Thuja.	1. Rural-84 2. Urban-15
2.	Bageshwar	About 950	1. Fruit Plants -Mango, Guava, Jamun, Papaya, Amla, Lemon. 2. Medicinal Plants -Neem, Curry Patta, Shatavri, Aloevera, Tulsi. 3. Shade Trees -Oak, Silver Oak, Jacaranda, Pipal.	1. Villages-51 2. Schools-45 3. Town-04 4. Urban-01
3.	Chamoli	101687	1. Medicinal Plants -11394 2. Fruits Plants -40771 3. Shade Tree -49522	1. Urban-15 2. Rural-530 (Total=545)
4.	Champawat	Approx. 450	1. Fruits Plants -175 2. Medicinal Plants -50 3. Shade Tree -50 4. Flower Plants -125 5. Other -50	1. Village-310 places 2. Town-140 places (Total=450)
5.	Dehradun	599977	Medicinal, Fruit, Shade Trees, Flower, etc.	1. Rural-596946 including Forest. 2. Urban-3031
6.	Haridwar	3055	1. Fruits Plants -1540 2. Medicinal Plants -1030 3. Shade Trees & Flowers Plants -360	Approximately all areas covered.
7.	Nainital	9251	Medicinal, Fruit, Shade Trees, Flower, etc.	1. Rural-53 2. Urban-24
8.	Pauri Garhwal	23185	1. Fruit Plants -Mango, Litchi, Lemon, Orange, Malta, Pomegranate, Amla, Jackfruit Guava. 2. Medicinal Plants . 3. Shade Trees .	575
9.	Pithoragarh	1157	Fruit, Medicinal, Shade Trees, Flower, etc.	53
10.	Rudraprayag	13030	1. Fruits Plants -6000 2. Medicinal Plants -6000	1. Rural-80 (School)

			3. Flower Plants-1030	2. Urban-05 (04 Nagar Panchayat & 01 Nagar Palika)
11.	Tehri Garhwal	11400	Fruit, Medicinal, Shade Trees, Flower, etc.	1. Village-650 2. Town-11
12.	U.S. Nagar	1415	Fruit, Medicinal, Shade Trees, Flower, etc.	1. Rural-575 2. Urban-840
13.	Uttarkashi	72206 (Approx.)	Fruit, Medicinal, Shade Trees, Flower, etc.	1. Block-06 2. In all Urban Area.
Grand Total = 839021 (Approx.)				

Having gone through the District-wise reports mentioned in the above table, it is found that around **839021 plants including fruits, medicinal, shade trees, etc. planted during the period of aforesaid drive throughout the State of Uttarakhand** by covering approximately all areas which includes rural as well as urban.

In order to make this one month long awareness drive a grand success and in order to ensure the compliance of the directions issued by the Uttarakhand SLSA, various activities e.g. Awareness Camps, Rallies, Radio Show, Essay/Drawing/Slogan Competition, Nukkad Natak and Meeting on the theme of **“Importance of Trees for Survival of Mankind” & “Tree Plantation and Environment Protection”** were organized by the District Legal Services Authorities in association with the Para Legal Volunteers and other concerning stakeholders.

On the basis of the statistical information furnished by the District Legal Services Authorities, a consolidated report has been prepared depicting the number of Awareness Camps, Rallies, Radio Show, Essay/Drawing/Slogan Competition, Nukkad Natak and Meeting organized during the aforesaid one month plantation drive. The said consolidated report is hereunder:-

Name of the District	No. of awareness camps organized	No. of Rallies organized	No. of Radio Show organized	No. of Essay/ Drawing/ Slogan Competition organized	No. of Nukkad Natak organized	No. of Meetings held
Almora	88	03	01	04	03	03
Bageshwar	49	01	-	17	-	03
Chamoli	198	101 (PLV's)	-	08	07	10
Champawat	20	04	-	04	01	05

Dehradun	17	04	-	32	06	08
Haridwar	36	01	-	01	-	01
Nainital	36	04	-	05	-	06
Pauri Garhwal	30	15	28 (On Social Me- dia Platform)	14	01	08
Pithoragarh	18	-	02 (Newspaper)	04	01	01
Rudraprayag	05	03	-	02	01	04
Tehri Garhwal	89	01	-	04	03	06
U.S. Nagar	39	04	01	10	-	04
Uttarkashi	21	02	-	02	-	07
TOTAL	646	143	32	107	23	66

With the effective coordination and collaborative efforts of the Forest Department as well as Horticulture Department of the State and active and competent services rendered by all who are associated with the Legal Services Institutions, this Plantation-Cum-Awareness Drive could be able to attain its sole purpose.



As a result of this, we hope and believe that this complete devotional exercise made towards environment would certainly assist and maintain the ecosystem of our earth.

At the end, the aforesaid one month long awareness drive as well as similar programmes based on **"Importance of Trees for Survival of Mankind"** & **"Tree Plantation and Environment Protection"** organized in the State of Uttarakhand from 21st June, 2023 to 21st July, 2023 was proven a successful campaign and concluded with the following motto:--



**पेड़ लगाओ,
जीवन बचाओ**





“15 DAYS INTENSIVE AWARENESS DRIVE FOR THE SENIOR CITIZENS” ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FROM 16th SEPTEMBER, 2023 TO 30th SEPTEMBER, 2023

It is kindly submitted that Uttarakhand, being a mountainous State, most of youth generation from hills being migrated to other places for the purpose of education, employment and other reasons, with many villages being left only with old people, who are in great need for welfare schemes and have health and other similar issues.

Moreover, it has been found that even in the urban areas where many senior citizens are living alone and have to face myriad of challenges relating to safety, security, social, physical, mental, maltreatment and economic due to lack of familial support and social maladjustment, apart from loneliness.

In this regard, it is also kindly submitted that Article 41 of the Constitution of India lays down that the State shall, within the limits of economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other case of undeserved want.

It is kindly submitted that National Legal Services Authority has also formulated a scheme for the Senior Citizens namely; ***NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016***.

In this context, it is kindly submitted that having considered this issue, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was of the view that there is a need to conduct an intensive awareness drive and other appropriate legal aid activities for the Senior Citizens throughout the State of Uttarakhand, so that Senior Citizens may be made aware about their welfare rights.

Accordingly, in order to ensure the effective implementation of the aforesaid drive at grass-root level, Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was pleased to approve to organize a **“15 Days Intensive Awareness Drive for the Senior Citizens”** in the State of Uttarakhand w.e.f. 16th September, 2023 to 30th September, 2023.

Further, to make this drive a success, various legal aid and awareness activities were to be carried out by the District Legal Services Authorities during the aforesaid period of 15 days in their respective Districts. An overview of such activities is hereunder:-

- (i)** To organize awareness camps in Old Age Homes/Senior Citizens Homes, Senior Citizens Clubs or at any other prominent places with the maximum availability of Senior Citizens wherein Senior Citizens shall be apprised about the NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016, Welfare Laws, Welfare Schemes, Rights of Senior Citizens, Online and Banking Frauds, etc.
- (ii)** To organize Awareness Programmes and Camps in Schools and Colleges, wherein youth generation shall be sensitized about the need and importance of respecting senior citizens and elderly.
- (iii)** To organize Special Medical Health Check-Up Camps for the Senior Citizens in Urban and Rural areas of the District.
- (iv)** To identify neglected and destitute Senior Citizens and efforts shall be made to provide prompt and effective legal aid and also assist them to provide other government welfare scheme through PLVs in association with concerning stakeholders.
- (v)** For the safety and security purpose, registration of tenants and servants of Senior Citizens, particularly who are living alone shall be made in association with the Police Department.
- (vi)** To ensure wider and adequate publicity of this Drive through Local T.V. Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform.
- (vii)** To regular upload and update the news with photographs of the said Drive on the Facebook Page of DLSA.
- (viii)** To ensure the active participation and coordination of all the stakeholders during the said Drive.
- (ix)** To cover the whole District during the aforesaid Drive; especially rural areas and far-flung hilly terrains.

In order to make this 15 days of Intensive Drive a grand success and in order to ensure the compliance of the directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, awareness programmes and camps were organized in Old Age Homes, Senior Citizen Homes, Senior Citizens Clubs, schools, colleges or at other prominent places where the maximum availability of Senior Citizens was found on the topic of **"15 Days Intensive Awareness Drive for the Senior Citizens"** by the District Legal Services Authorities in association with the Para Legal Volunteers and all other concerning stakeholders.

On the basis of the statistical information furnished by the District Legal Services Authorities relating to the said Drive, a consolidated report has been prepared and the same is hereunder:-

Name of the District	No. of awareness programmes/camps organized in Old Age Homes/ Senior Citizen Homes/ Senior Citizen Clubs/ other prominent places.	No. of persons attended these programmes/camps	No. of awareness programmes/camps organized in Schools & Colleges.	No. of students attended these programmes/camps	No. of Special Medical Health Check-up Camps organized for the Senior Citizens	No. of Senior Citizens benefitted by the Special Medical Health Check-up Camps
Almora	02	314	66	3265	09	1197
Bageshwar	40	1076	12	1598	89	738
Chamoli	97	2181	59	4323	01	36
Champawat	67	1727	08	411	12	59
Dehradun	45	2284	36	3837	127	9391
Haridwar	11	2256	02	200	07	427
Nainital	48	2434	65	7111	26	455
Pauri Garhwal	16	557	07	760	368	3120
Pithoragarh	12	1537 Approx.	01	85	04	850 Approx.
Rudraprayag	24	2087	24	1524	23	164
Tehri Garhwal	02	618	01	498	02	120
U.S. Nagar	78	5589	95	14477	06	525
Uttarkashi	03	118	02	128	33	1094
TOTAL	445	22778	378	38217	707	18176

It is kindly submitted that as per the District-wise reports mentioned in the above table, it is found that during the aforesaid intensive 15 days drive, **total 455 awareness programmes/camps organized** in Old Age Homes/Senior Citizen Homes/Senior Citizen Clubs/other prominent places during the period of aforesaid drive throughout the State of Uttarakhand wherein around 22,778 persons attended these awareness programmes/camps. **Total 378 awareness programmes/camps were organized in Schools and Colleges wherein around 38,217 students attended these programmes/camps.** Apart from this, total **707 Special Medical Health Check-up Camps were organized for the Senior Citizens wherein total 18,176 Senior Citizens benefited.**

Moreover, during the aforesaid **"15 Days Intensive Awareness Drive for the Senior Citizens"**, various other activities e.g. registration of tenants and servants of such senior citizens who are living alone, identification of neglected and destitute Senior Citizens, providing prompt and effective legal aid to them and also to assist them to provide other government welfare schemes were also organized by the District Legal Services Authorities in association with the Para Legal Volunteers and all other concerning stakeholders.

In this regard, a consolidated report has been prepared and the same is hereunder:-

Name of the District	No. of registration made of Tenants and Servants of such Senior Citizens who are living alone in association with the Police Department	No. of Neglected and Destitute Senior Citizens identified.	No. of Neglected and Destitute Senior Citizens provided prompt and effective legal aid.	No. of Neglected and Destitute Senior Citizens assisted to provide other government welfare schemes.
Almora	03	-	-	-
Bageshwar	01	-	-	40 (Old Age Pension Scheme)
Chamoli	-	01	01	-
Champawat	01	-	-	34 (Social Welfare Schemes)
Dehradun	99	01	01	-
Haridwar	-	-	-	-
Nainital	12	-	-	-
Pauri Garhwal	-	01	01	NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016

Pithoragarh	-	02	02	Aadhar Card, Ration Card, Income Certificate, Old age pension Scheme
Rudraprayag	53	-	-	-
Tehri Garhwal	-	-	-	-
U.S. Nagar	-	373	258	67
Uttarkashi	133	-	-	-
TOTAL	302	378	263	141

As per the above District-wise reports, it is found that **total 302 registrations of Tenants and Servants of such Senior Citizens who are living alone were made** in association with the Police Department by the District Legal Services Authorities during the period of aforesaid drive throughout the State of Uttarakhand.

Further, in compliance of the above directions, all the District Legal Services Authority identified **378 neglected and destitute Senior Citizens** and **263 neglected and destitute Senior Citizens provided prompt and effective legal aid** and **141 neglected and destitute Senior Citizens assisted to provide other government welfare schemes during the aforesaid 15 days of drive.**

It is kindly submitted that during the aforesaid 15 days of Drive, valuable coordination and active participation were provided by the District Administration, Police Administration, Social Welfare Department, Medical and Health Department, School and College Administration, Experts from IT Department and Banking and Financial Institutions.

Apart from this, active and competent services were also given by all who are associated with the Legal Services Institutions during the aforesaid 15 days of Drive.

In order to make this Drive a grand success, all the District Legal Services Authorities made wider publicity of the aforesaid 15 days of Drive through Local T.V., Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform. Regular information and news were also being uploaded on the Facebook Page of the DLSAs.





SWACHHATA HI SEWA (SHS) CAMPAIGN AND SWACHH BHARAT DIWAS (SBD):

As per directions of the High Court of Uttarakhand 'Swachhata Hi Sewa (**SHS**) Campaign' and Swachh Bharat Diwas (**SBD**) was organized by the Legal Services Institutions w.e.f 15.09.2023 to 02.10.2023 in all Court Complexes as per the SOP framed by the Hon'ble Court for the purpose.

During the period all District Legal Services Instructions organized Fortnightly cleanliness campaign (**Swachhata Pakhwara**) in the concerned Court Complexes and vicinity places of the Court Complexes. People at large were also made aware about environment protection and importance of being clean, during the said campaign.

ALMORA



BAGESHWAR



CHAMOLI



CHAMPAWAT



NAINITAL



RUDRAPRAYAG



TEHRI GARHWAL



UDHAM SINGH NAGAR



UTTARKASHI



SPECIAL CAMPAIGN/DRIVE

CAMPAIGN UNDER PREVENTION OF SALES OF EXPIRY ITEMS:

As per directions of the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital under prevention of sales of expiry items/packages /packed foods, drinks, monthly meeting is being convened by the Secretaries of District Legal Services Authorities (DLSAs) across the State of Uttarakhand with Food Safety Officer and Drug Inspector of the concerned district. Raid/Inspection are also being conducted to the malls, shops, markets, medical stores, general stores etc.

For effective implementation of such type of issues a committee has been constituted by each DLSA, comprising of:

1. Secretary, DLSA
2. District Food Safety Officer
3. District Drug Inspector
4. One Officer from District Administration
5. One Officer from Health Department

The aforesaid committee has been directed to conduct all needful exercise as per law, if any such matter found in the district.

During the said period the District Legal Services Authorities convened **23 Meetings** with Food Safety Officer and Drug Inspector and Anti-Drug Team Members, **41** surprise inspections/visits to shops, stores, medical stores, malls by the concerned officers, **162** samples collected from the shops, malls and stores and were sent to laboratory, out of them 29 reports have been received.

BAGESHWAR



UTTARKASHI



"ROAD SAFETY-CUM-AWARENESS DRIVE" ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FROM 01ST SEPTEMBER, 2023 TO 15TH SEPTEMBER, 2023

Road and Transport have been a fundamental part of mankind through the ages. Consistently, road crashes bring about loss of many lives and genuine wounds to many individuals. Thus, Road Safety and its proper awareness are extremely essential to protect each and every person from being harmed or murdered by road accidents.

Moreover, Road Safety also alludes to the measures and methods used to forestall mishaps on the road by obeying the traffic rules and regulations, so as to decrease the road crashes and other similar fatal incidents.

Having considered this issue, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was of the view that a comprehensive Road Safety-cum-Awareness Drive as well as other similar programmes is required to be carried out throughout the State of Uttarakhand, so that youth as well as other citizens of the State may be made aware accordingly.

In this regard, it is kindly submitted that in order to ensure effective implementation of the aforesaid drive at grass-root level, Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority was pleased to approve to organize a 15 Days of "**Road Safety-cum-Awareness Drive**" in the State of Uttarakhand w.e.f. 01st September, 2023 to 15th September, 2023.

Further, to make this drive a success, various activities were to be carried out by the District Legal Services Authorities during the aforesaid period of 15 days in their respective Districts. An overview of such activities is hereunder:-

- (i) To organize Awareness Programmes and Camps in Schools and Colleges of the District.
- (ii) To organize Awareness Programmes and Camps at the prominent places of the Road Side of Urban and Rural areas of the District.
- (iii) To organize Awareness Rally of School's Children on the topic of this Drive.
- (iv) To organize Radio Talk Show or Nukkad Natak on the topic of this Drive.
- (v) To conduct Drawing/Slogan/Essay Competition in Schools on the aforesaid topic and to felicitate top three winners of each category.
- (vi) To identify of landslide areas of the District and also to ensure its proper awareness amongst the masses.

- (vii) To ensure wider and adequate publicity of this Drive through Local T.V. Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform.
- (viii) To print informative pamphlets highlighting the importance of Road Safety and to ensure its proper distribution to the general masses for the awareness purpose during the aforesaid Drive.
- (ix) To regular upload and update the news with photographs of the said Drive on the Facebook Page of DLSA.
- (x) To ensure the active participation and coordination of all the stakeholders during the said Drive.
- (xi) To cover the whole District during the aforesaid Drive; especially rural areas and far-flung hilly terrains.

In order to make this, 15 days of Awareness Drive a grand success and in order to ensure the compliance of the directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, awareness programmes and camps were organized in schools, colleges and Road Side of the Rural and Urban Areas on the theme of **"Road Safety-cum-Awareness Drive"** by the District Legal Services Authorities in association with the Para Legal Volunteers and all other concerning stakeholders.

On the basis of the statistical information furnished by the District Legal Services Authorities relating to the said Drive, a consolidated report has been prepared and the same is hereunder: -

Name of the District	No. of awareness programmes/camps organized in schools and Colleges.	No. of awareness programmes/camps organized at the prominent places of the Road Side of the Urban Areas.	No. of awareness programmes/camps organized at the prominent places of the Road Side of the Rural Areas.	Total No. of persons benefitted by this 15 days of Drive.
Almora	32	13	15	14376
Bageshwar	33	09	40	4980
Chamoli	46	21	24	7940
Champawat	30	04	07	4050
Dehradun	63	05	03	9092
Haridwar	15	11	07	9721
Nainital	202	102	95	17637
Pauri Garhwal	28	33	14	4526
Pithoragarh	09	07	04	15000 (Approx.)

Rudraprayag	06	06	12	1765
Tehri Garhwal	49	71	83	3642
U.S. Nagar	117	22	23	30972
Uttarkashi	10	05	01	3000 (Approx.)
TOTAL	640	309	328	1,26,701

Having gone through the district-wise reports mentioned in the above table, it is found that **total 1277 awareness programmes/camps {640 in Schools & Colleges, 309 at the Road Side of the Urban Areas and 328 at the Road Side of the Rural Areas} organized during the period of aforesaid drive throughout the State of Uttarakhand** by covering the rural and urban areas and around 1,26,701 persons were benefited by this, 15 days of Drive in the Uttarakhand State.

Moreover, during the aforesaid 15 days of **“Road Safety-cum-Awareness Drive”**, various other activities e.g. Rallies, Radio Show, Nukkad Natak, Essay/Drawing/Slogan Competition were also organized by the District Legal Services Authorities in association with the Para Legal Volunteers and all other concerning stakeholders.

In this regard, a consolidated report has been prepared and the same is hereunder:-

Name of the District	Total No. of Rallies organized.	Total No. of Radio Show organized.	Total No. of Nukkad Natak organized.	Total No. of Essay/Drawing/Slogan Competition organized.	No. of landslide areas of the District identified.
Almora	11	01	02	08	-
Bageshwar	07	-	03	14	18
Chamoli	40	-	03	26	13
Champawat	04	-	-	01	04
Dehradun	03	01	10	16	02
Haridwar	-	-	04	30	-
Nainital	75	03	04	82	07
Pauri Garhwal	06	01	05	15	09
Pithoragarh	09	-	05	07	03
Rudraprayag	03	-	05	10	35
Tehri Garhwal	07	-	01	05	169
U.S. Nagar	45	01	02	28	-

Uttarkashi	02	-	05	09	-
TOTAL	212	07	49	251	260

As per the above District-wise reports, it is found that **total 212 Awareness Rallies were organized, total 07 Radio Show were organized, total 49 Nukkad Natak were organized, total 251 Essay/Drawing/Slogan Competition were organized** by the District Legal Services Authorities during the period of aforesaid drive throughout the State of Uttarakhand.

Further, in compliance of the above directions, all the District Legal Services Authority **identified 260 landslide areas of their District and made its proper awareness amongst the masses.**

It is kindly submitted that during the aforesaid 15 days of Drive, valuable coordination and active participation were provided by the District Administration, School Administration, Department of RTO/ARTO and Police Administration.

Apart from this, active and competent services were also given by all who are associated with the Legal Services Institutions during the aforesaid 15 days of Drive.

All the District Legal Services Authorities made wider publicity of the aforesaid 15 days of Drive through Local T.V., Channel, Print & Electronic Media and Digital Platform. Regular information and news were also being uploaded on the Facebook Page of the DLSAs.

Consequently, we hope and believe that by making the general masses aware through the aforesaid Drive, the road crashes will certainly be decreased and it will also save many lives.

At the end, the aforesaid 15 Days of **“Road Safety-cum-Awareness Drive”** which was organized in the State of Uttarakhand from 01st September, 2023 to 15th September, 2023 concluded with a remark of a successful Drive.





JAIL ACTIVITIES:

As per directions of the Hon'ble the Executive Chairman, UKSLSA and in order to strengthen Jail Legal Aid Clinics and Prisoners Focused Legal Services, all the District Legal Services Authorities are being organized **"Jail Samiksha Diwas"** inside District/Sub-Jails and at Legal Aid Clinics/Judicial Lock-up on **every Wednesday** of the week. The Secretaries of DLSAs along with Jail Vesting Panel Lawyers, Chief Legal Aid Defense Counsel and PLVs visited District/Sub-Jails/Judicial Lock-ups and made interaction with jail inmates during the programme. The necessary legal aid has been provided to the Jail Inmates by the Jail visiting Panel Lawyers and Secretaries of the DLSAs.

During the period total **29 Legal Awareness Camps, 56 visits/inspections** were conducted and total **807 Jail Inmates/Under Trial Prisoners** were get benefited by providing them free Legal Aid Services by the Panel Lawyers enrolled with District Legal Services Authorities.

BAGESHWAR

Jail visits and Legal Awareness Camps by the Secretary, DLSA Bageshwar



CHAMPAWAT



U.S. NAGAR



UTTARKASHI



BIODEGRADABLE & NON-BIODEGRADABLE AND PLASTIC WASTE MANAGEMENT:

In compliance of the Order dated 07.07.2022 and Order dated 24.11.2022 passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in WP (PIL) No. 93/2022 (Jitendra Yadav Vs. Union of India & Others) and as per the directions issued by the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, with reference to the aforesaid order, different legal awareness camps have been organized on different dates and places by the District Legal Services Authorities across the State of Uttarakhand.

PLVs visiting different rural and urban areas of their concerned district and uploaded Google Map Photos of the heaped/dumped garbage and sent complaint of the locations at E-mail ID: solidwaste-complaint@uk.gov.in, and also sent to concerned authorities.

Further, to make aware the common mass about *Uttarakhand Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation and Use of Disposal) Act, 2013; Plastic Waste Management Rules, 2016 with amendment Rules 2018; Environment Protection Act, Uttarakhand Panchayat Solid Waste Management Policy, 2017 and ban on single use of plastic etc., Legal Awareness Camps/Rallies and door-to-door Campaign* were organized and people at large were made aware. **11 Meetings** was also convened by the Secretaries of the DLSAs with Executive Officer, Nagar Palika to discuss the waste management in the district, for fixing dustbins at the collection centers and for removal/disposal of the collected garbage.

ALMORA

प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना सं. 84, दिनांक 16.02.2021 द्वारा राज्य में प्लास्टिक / थर्मोफॉल / स्टाइरोफोम के कृत्रिम सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अधिसूचना सं. 57 (30), दिनांक 12.08.2021 द्वारा भी कृत्रिम सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण, आयात, बिक्री, भंडारण का 01.07.2022 से सम्पूर्ण देश में पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

सुलभ संदर्भ हेतु उत्तराखण्ड सरकार एवं भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचनाओं के क्रम में वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद की सूची निम्न प्रकार उल्लेखित है :-

उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों की सूची

प्रतिबन्धित उत्पाद का नाम	प्रतिबन्धित उत्पाद का चित्र
प्लास्टिक डिस्क के साथ हुंडा बालू।	
प्लास्टिक डिस्क के साथ गुलाब।	
प्लास्टिक डिस्क के साथ फूल।	
प्लास्टिक डिस्क के साथ बीजे।	
प्लास्टिक डिस्क के साथ आइटम/बैग।	
उपरोक्त के लिए प्लास्टिक/पॉलीथिन (अनकिलर)।	
प्लास्टिक कवर/कोरी कपड़े।	
प्लास्टिक के कपड़े।	
प्लास्टिक के बालू।	
प्लास्टिक के गुलाब।	
प्लास्टिक के फूल।	
प्लास्टिक के बीजे।	
प्लास्टिक के कपड़े।	

उपरोक्त सूची सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को उत्पादों का अतिरिक्त वार परीक्षण संस्थान में जमा होना आवश्यक है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा



BAGESHWAR

Rally was organized by the PLVs & others with regard importance of Cleanliness

Cleanliness drive in District Court Campus, Bageshwar and nearby areas.



CHAMOLI



NAINITAL



U.S. NAGAR

Cleanliness of Drainage System by PLVs of DLSA U.S. Nagar with workers during July, 2023



UTTARKASHI

On 25.08.2023 the Secretary DLSA, Uttarkashi organized a Meeting with all the Members of Municipal Department, Uttarkashi regarding Segregation of Waste and Solid Waste Management Rules.

Cleanliness Campaign and Rally by the DLSA Uttarkashi, PLVs and Local people on 10.9.2023



OBSERVATION OF "WORLD SENIOR CITIZEN DAY" ON 21.08.2023:

'World Senior Citizen Day' was observed on 21.08.2023 by the District Legal Services Authorities and by organizing Medical-cum-Legal Awareness Programmes and Camps. In the programme the people at large were informed about legal rights of senior citizens. Further, it is about honoring those people who have been on this earth longer than we have. Getting old is not easy. The aim of the programmes to bring issues to light about the problems influencing older citizens and to promote a fair and just society for them.

BAGESHWAR



CHAMPAWAT



U.S. NAGAR



UTTARKASHI



OBSERVATION OF "WORLD POPULATION DAY" ON 11.07.2023:

'World Population Day' was organized on 11.07.2023 by the District Legal Services Authorities by organizing legal awareness camps and seminars. The aim of the said observation to spread awareness not only about the increasing population and its impact on society, nations and environment but also educating the public to control it. In the programmes attendees were informed that we must advance gender equality to create a more just, resilient and sustainable society. The creativity, ingenuity, resources and power of women and girls are fundamental to address demographic and other challenges that threaten our future, including climate change and conflict.

ALMORA



BAGESHWAR



DEHRADUN



UTTARKASHI



OBSERVATION OF "WORLD HEPATITIS DAY" ON 28.07.2023:

As per the Plan of Action and in order to observe the **World Hepatitis Day on 28.07.2023** the District Legal Services Authorities, TLSCs including Panel Lawyers and PLVs observe the occasion by organizing Legal Awareness Camps & Webinars on 28.07.2023. In the said programmes attended people were made aware and educate about effect of viral hepatitis, which can cause liver inflammation leading to severe liver-related ailments and liver cancer. Also emphasized the need for prevention, early detection and adherence to prescribed treatment. Further informed that WHO has set up a goal to achieve elimination by 2030.

ALMORA



BAGESHWAR



CHAMOLI



DEHRADUN



VISITS/INSPECTIONS OF DISTRICT/SUB-JAILS, LOCK-UPS, CHILDREN/OBSERVATION HOMES, NARI NIKETAN, FRONT OFFICE, LEGAL AID CLINICS & ONE STOP CENTERS etc.

ALMORA

Visit of Front Office by Secretary, DLSA Almora



Visit of Legal Aid Clinic at District Jail Almora by Secretary, DLSA Almora



BAGESHWAR

Inspection of Leal Care & Support Centres at Hospitalson 27.07.2023 by Secretary, DLSA, Bageshwar



Visit Front Office by Secretary, DLSA, Bageshwar to review the working of the same.



CHAMPAWAT

Visit of Front Office by Secretary, DLSA Champawat on 03.08.2023.



DEHRADUN

Surprise inspection was conducted to District Jail Dehradun was visited by the Chairperson and Secretary, DLSA Dehradun on **27.07.2023**.



UDHAM SINGH NAGAR

Secretary, DLSA Udhham Singh Nagar visited Observation Home on 09.08.2023.

Visit of Observation Home by Secretary, DLSA U.S. Nagar, on 05.07.2023.



Secretary, DLSA U.S. Nagar visited Legal Aid Clinic on 19.07.2023

Visit of Police Station Kashipur, by Secretary, DLSA U.S. Nagar on 19.07.2023



UTTARKASHI

Visit of Observation Home Dunda on 12.09.2023 by Secretary DLSA, Uttarkashi

Visit of Legal Aid Clinic by Secretary, DLSA Uttarkashi at Hospital



MISCELLANEOUS PHOTOS AND NEWS PAPER CUTTINGS OF THE PROGRAMMES AND ACTIVITIES CONDUCTED DURING APRIL TO JUNE, 2023

BAGESHWAR

Online webinar on Disaster Management on 22.07.2023



Meeting with JJB, CWC & SJPU in Tehsil Auditorium Bageshwar on dated 31-07-2023 by Secretary, DLSA, Bageshwar.

Legal Awareness Camp about e-True Copy Module, e-Sewa Kendra, e-Filing of cases" on 25.07.2023 in Court Campus by Secretary, DLSA, Bageshwar.



Panel Lawyers Monthly Meeting on dated 03-08-2023 by Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar.



Monthly Meeting with PLVs conducted by the Secretary, DLSA Bageshwar on 03.08.2023



Legal Awareness Camp was held on the Subject " The Provisions of FlagCode of India, 2002 & the prevention of Insults of National Honour Act, 1971" by District Legal Services Authority, Bageshwar.



Sensitization Programme about **"The Provisions of FlagCode of India, 2002 & the Prevention of Insults of National Honour Act, 1971"** by DLSA, Bageshwar.

Legal awareness-cum-medical camp was organized on dated 19.09.2023 to solve problems in tribal areas and child marriage, female feticide, illegal trafficking.



Refresher Training of PLVs by the Secretary, DLSA Bageshwar

SDRF Training of PLVs and other during September, 2023



CHAMOLI

Legal Services-cum-Medical Camp by Secretary, DLSA Chamoli on 12.08.2023 at Village Lolti, Tharali with District Disability Rehabilitation Center, Gopeshwar.

On the subject Cyber Crime & Ban on Single use of Plastic an awareness camp was organized by the DLSA Chamoli on 22.09.2023 at GIC, Talwalri.



CHAMPAWAT

Set-up of Help Desk by the PLVs, DLSA Champawat at Nanda Sunanda Regional Fare.



Awareness Camp on Road Safety by DLSA Champawat.



SDRF Training for PLVs by DLSA & SDRF Team.



Awareness Camp at Saathi Mahotsav, at Block Pati



NAINITAL

Meeting by the Members of Permanent Lok Adalat (PLA) Nainital on 28.07.2023 with different departments and discussed importance & jurisdiction of PLA, and modus operandi.



TEHRI GARHWAL

Foundation Training Programme was conducted by the DLSA Tehri Garhwal for the PLVs on 17.08.2023



RUDRAPRAYAG

Legal Awareness Camp was organized on 12.07.2023 at GIC, Ratura



SDRF Training for PLVs by DLSA with SDRF Team on 11.09.2023



UDHAM SINGH NAGAR

Meeting with Panel Lawyers by the Secretary, DLSA U.S. Nagar on 02.09.2023.



Secretary, DLSA U.S. Nagar convened meeting with PLVs on 01.09.2023.



World Democratic Day was observed by the DLSA U.S. Nagar on 15.09.2023



Legal Awareness Camp for Mentally & Physically disabled persons on 16.08.2023 by DLSA U.S. Nagar



Meeting with Child Legal Aid Cell Members on 18.08.2023



Legal Awareness Camp for Senior Citizens on 19.08.2023



UTTARKASHI

Monthly Meeting with PLVs by Secretary, DLSA Uttarkashi



On 01.08.2023 the student and people were made about social medial frauds/scams at G.I.C. Dunda in a camp.



Legal Awareness Camp by Secretary, DLSA Uttarkashi in July, 2023 to aware the people about e-True Copy, e-Sewa Kendra, e-Filing of Cases.



Inspection of Front Office to review the working of the same by Secretary, DLSA Uttarkashi in August, 2023



Meeting with Anti-Drug Unit Members under NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015.



On 12.09.2023, Secretary DLSA, Uttarkashi organized a Legal Awareness Camp in the Vill-Dunda, Uttarkashi in Collaboration with Health Department, Uttarkashi under NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015 & others



On 15.09.2023 the Hon'ble District Judge/Chairperson DLSA, Uttarkashi awarded the students participated in Essay/Slogan/Drawing Competition and awarded to the Students who performed the Nukkad Natak on the Road Safety-cum-Awareness Campaign.

On 14.09.2023 the Secretary DLSA, Uttarkashi organized a Legal Awareness Camp in Vill-Badeth, Rautalhar with the Collaboration of all Departments of Uttarkashi.



On 15.09.2023 the Secretary DLSA, Uttarkashi organized a Legal Awareness Camp in Government P.G. College Uttarkashi on the Occasion of **International Day of Democracy**.

Training for Para Legal Volunteers and others on 18.09.2023 by DLSA Uttarkashi with help of **NDRF/SDRF Team** for providing necessary assistance to the Disaster Victims.



पौधारोपण के साथ संरक्षण के लिए भी आगे आए क्षेत्रवासी



दर्या क्षेत्र में पौधारोपण करते उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और अन्य = गजद्वारा

जासं, अल्मोड़ा : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दर्या क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति व उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पौधे के संरक्षण को सभी से आगे आने का आह्वान किया।

शनिवार को राजकीय इंटर कालेज दर्या, वन पंचायत और अन्य क्षेत्रों में पौधारोपण किया गया। वन विभाग ने पौधारोपण के लक्ष्य

गिनाए। इस दौरान खुपयोगी, औपचौर्य और अन्य प्रजातियों के पौधे रोपे गए।

इस मौके पर पहुंचे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने भी पौधे रोपे। कार्यक्रम में सीनियर सिविल जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शशि शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दश राम, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम ध्रुव सिंह मर्तोल्या, तहसीलदार बरखा जलाल आदि मौजूद रहे।

लोक अदालत ने मामलों का किया निस्तारण

माई सिटी रिपोर्ट

नैनीताल। स्थायी लोक अदालत ने सुनवाई करते हुए मामलों का निस्तारण किया है। पहले मामले में स्थायी लोक अदालत नैनीताल में देवेन्द्र सिंह अधिकारी ने वाद दायर कर कहा था कि उन्होंने सहारा एम बेनिफिट स्कीम के तहत आरडी कराई थी। परिपक्वता पर उन्हें 36 हजार 957 रुपये मिलने थे जो नहीं मिले।

स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष सुबोध कुमार, सदस्यगण अकरम परवेज और दर्शन सिंह ने सुनवाई कर विपक्षी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को आदेश दिए कि वह वादी देवेन्द्र सिंह अधिकारी को उनके द्वारा जमा कराई गई 30 हजार रुपये की धनराशि छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ भुगतान करें।

भूमि सेल्स इंडिया लिमिटेड भवाली के खिलाफ दायर दो मामलों की सुनवाई की। वादी ममता आर्या पत्नी वेद प्रकाश व मुनी आर्या पत्नी अनिल कुमार का कहना था कि उन्होंने विपक्षी कंपनी में फिक्स डिपॉजिट/ज्वाइंट वैंचर एग्रीमेंट के तहत एक लाख रुपये की पहली और 25 हजार की दूसरी एफडी कराई थी।

परिपक्व होने पर उन्हें दो लाख और पचास हजार रुपये मिलने थे। स्थायी लोक अदालत की ओर से विपक्षी कंपनी को कई बार नोटिस जारी किए गए लेकिन नोटिस की तामील होने के बाद भी विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। बृहस्पतिवार को स्थायी लोक अदालत ने मामले को सुना और विपक्षी भूमि सेल्स इंडिया लिमिटेड को ममता आर्या को दो लाख रुपये और मुनी आर्या को पचास हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए।

एक्सपायरी सामग्री पर 4 दुकानों का चालान

संवाददाता, हल्द्वानी

अमृत विचार: जिले भर में एक्सपायरी खाद्य सामग्री की जांच के लिए हाईकोर्ट को मानिटरिंग में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गठित समिति द्वारा खाद्य पदार्थों की दुकानों और मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया जा रहा है।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षक व तहसीलदार नैनीताल को जावी दिशा-निर्देश में जिले के सभी खाद्य व मेडिकल दुकानों का निरीक्षण जारी है। इसी क्रम में सोमवार को शहर के रोडवेज, लाइन-1



हल्द्वानी में एक दुकान पर खाद्य पदार्थों की जांच करते टीम के सदस्य।

बनफूलपुरा में खाद्य विभाग और ड्रग विभाग की टीम ने दुकानों का औचक निरीक्षण किया। खाद्य विभाग ने 15 दुकानों का निरीक्षण किया। इसमें 4 दुकानों

का एक्सपायरी सामग्री मिलने पर चालान किया गया है। वहीं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम धारा 32 के तहत तो 2 दुकानों को नोटिस धरमाई गए हैं। इधर ड्रग विभाग ने

निरीक्षण

- 15 खाद्य एवं 5 मेडिकल दुकानों का टीम ने किया निरीक्षण
- 2 दुकानों पर की गई जुर्माना लगाने की कार्रवाई

5 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया जहां किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। इधर पूरे जिले भर में वस्तुओं की एक्सपायरी डेट का निरीक्षण दुकानों में किया जाता रहेगा। इस निरीक्षण के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संबय सिंह, ड्रग निरीक्षक मोनाक्षी बिष्ट, खाद्य निरीक्षक कैलाश टप्पा समेत कई लोग उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सीमांत गांव गमशाली में लगाया विधिक जागरूकता शिविर



चमोली/ चाल एक्सप्रेस। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्वावधान में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिमरन जीत कौर की अध्यक्षता में सीमांत गांव गमशाली में

जनजातीय समुदाय के लोगों के अधिकारों पर विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं को महिला संरक्षी कानून महिला एवं सचिवान परिकर



लों, दीवानी एवं फौजदारी लों, श्रम अधिनियम, पोएनडीटी अधिनियम आदि तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले मुक्त विधिक सेवा के संरक्ष में विस्तार से जानकारी देकर लाभान्वित किया

गया। सीमांत गांव में विधिक शिविर के आयोजन पर स्थानीय लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, पीएलबी सदस्यों सहित स्थानीय लोग मौजूद थे।

शिविर में दी एससी, एसटी समुदाय के जनकल्याणकारी योजनाओं व कानून की जानकारी

गोपेश्वर (बट्टी विशाल)। चमोली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकास खंड के देवलीबगड़ में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए विधिक जागरूकता और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।



जिसमें कानून के साथ ही कल्याणकारी योजना की जानकारी दी गई।

देवलीबगड़ में आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन सिमरन जीत कौर ने जनजातीय समुदाय के लोगों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया जिसमें चिकित्सक डा. बोपी पुरोहित और डा. विशाल पंवार ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें देवा वितरित भी की। साथ ही समाज कल्याण विभाग, उद्यान विभाग, कृषि, आजीविका मिशन की ओर से लोगों को सरकार की ओर से चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा उनसे योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस मौके पर तहसीलदार कर्णप्रयाग सुरेन्द्र देव, संभागीय परिवहन अधिकारी जेएस मिश्रा, एसआई कर्णप्रयाग अजीत कुमार, खंड विकास अधिकारी विजय प्रसाद पुरोहित, अधिवक्ता ज्ञानेंद्र खतवाल, प्राविधिक कार्यकर्ता उमा शंकर बिष्ट आदि मौजूद थे।

राजकीय इंटर कॉलेज खिरखेत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का किया आयोजन

रानीखेत। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय इंटर कश्चलेज खिरखेत में हुआ। इस विधिक जागरूकता शिविर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा द्वीप प्रचलन कर किया गया। इस आयोजन में नवोदय विद्यालय के स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। इस दौरान न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान दी। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था में गरीबों, वंचितों एवं जरूरतमंदों के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विधिक सहायता का विषय जनसामान्य के लिए बहुत



महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लोगों को कानूनी सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस शिविर में जिला प्रशासन के माध्यम से विभिन्न विभागों के 40 विभागीय स्टाफ लगाए गए जिसके माध्यम से लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया साथ ही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी लोगों को प्रदान की गई। पि विभाग के माध्यम से 2 लाभार्थियों को 80 प्रतिशत अनुदान पर फार्म भूशानरी

उपलब्ध कराई गई। इस शिविर में हंस फाउंडेशन के माध्यम से दिव्यांगजनों को 100 सहायक उपकरण वितरित किए गए साथ ही बाबा हैड़ाखान चेरिटेबल रिसर्च सेंटर के माध्यम से निशुल्क आंखों की जांच भी की गई, जिसके माध्यम से लोगों ने लाभ उठाया। इस दौरान जिला जज कौशल किशोर शुक्ला, जिलाधिकारी विनोद तोमर, सचिव डीएलएसए शचि शर्मा, संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन, न्यायिक अधिकारियों समेत बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण तथा अन्य उपस्थित रहे।

सहारा क्रेडिट सोसाइटी को भुगतान के आदेश

नैनीताल : स्थायी लोक अदालत ने सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी, तिकोनिया, हल्द्वानी को आवेदक देवेन्द्र सिंह अधिकारी को 20 दिसंबर 2017 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश पारित किए हैं। अदालत को बताया गया था कि सहारा बैनिफिट नामक स्कीम के तहत प्रतिमाह 500 रुपये जमा कर पांच साल की अवधि के लिए 36957 रुपये को आरडी कराई गई थी। लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। जिस पर लोक अदालत ने सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी तिकोनिया हल्द्वानी को प्रार्थी देवेन्द्र सिंह अधिकारी को जमा की गई 30 हजार की रकम छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान के निर्देश दिए।

आवेदक को दिलाई दुर्घटनाग्रस्त वाहन की एक लाख 87 हजार बीमा राशि

नैनीताल : स्थायी लोक अदालत में एक मामले में आवेदक को दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा राशि एक लाख 87 हजार भुगतान के आदेश पारित किए हैं। आवेदक के अनुसार उसका वाहन 18 मई 2021 को अल्मोड़ा से चलनीछीना जाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसका बीमा विपक्षी युनिवर्सल सौम्यो जनरल इश्योरेंस कंपनी की ओर से किया गया था। लेकिन बीमा कंपनी ने बलेम भुगतान नहीं किया। लोक अदालत ने बीमा कंपनी को आवेदक राजेंद्र सिंह धौनी को बीमित वाहन के लिए एक लाख 87 हजार से अधिक क्षतिपूर्ति छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करने के आदेश पारित किए। वहीं एक अन्य मामले में स्थायी लोक अदालत ने भूमि सेल्स इंडिया लिमिटेड भवाली के विरुद्ध आवेदक ममता आर्या पत्नी वेदप्रकाश एवं मुन्नी आर्या पत्नी अनिल के प्रार्थना पत्र पर कंपनी को जमा की गई रकम का भुगतान करने का आदेश पारित किया।

का
कम
Email
पत्रांक- C-4
ऑग
संचालित ऑग
है, जिसके लि
व्यक्ति द्वारा उ
चाहते हो, तो
प्रस्ताव प्राप्त
सरकारी भवन
ऑगनवाडी क
हेतु प्रस्ताव स
कराने का क
जि

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 30 बच्चों/महिलाओं को रेस्क्यू किया गया

देहरादून (अकील खान/विधान केसरी)। 10 अगस्त 2023 को जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून, जिला अधिकारी, देहरादून एवम देहरादून, एवम वरिष्ठ सिविल जज /सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के निर्देशों के क्रम में जिला प्रोवेशन अधिकारी, देहरादून, अन्य विभागों के सहयोग से भिक्षावृत्ति/बाल श्रम/कूड़ा बीनने में लित बच्चों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू अभियान आईएसओबी0टी0 व शिमला बायपास चौक ट्रांसपोर्ट नगर देहरादून में चलाया गया। रेस्क्यू अभियान में कुल 30 बच्चों/महिलाओं को रेस्क्यू किया गया जिसमें 5 महिलाएं, 15 बालक व 10 बालिकाएं हैं, जिनका संबन्धित थाने में जीडी दर्ज कराकर मेडिकल कराया गया। उसके उपरांत बाल कल्याण समिति, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति, देहरादून के आदेश से रेस्क्यू किए गए बच्चों को उनके सर्वोत्तम हित में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित खुला आश्रय गृह सरफिना ट्रस्ट व समर्पण सोसाइटी में प्रवेश दिया गया। रेस्क्यू अभियान में जिला प्रोवेशन अधिकारी श्रीमती मीना बिट, रश्मि बिट, संपूर्णा भट्ट, आशा कंडारी, अखिलेश, प्रवीण चौहान अनिता, एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट से रचना, देवेन्द्र, श्रम विभाग से अश्वनी, मैक संस्था से जहांगीर आलम, बचपन बचाओ आंदोलन से सुरेश उनियाल, समर्पण सोसाइटी से शिवांगी, सरफिना ट्रस्ट से किशोर, हीना, आशा ट्रस्ट से मोवीन, चाइल्ड लाइन से जसवीर उपस्थित रहे।



टीम के पहुंचते ही शटर बंद कर भागे दुकानदार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की गठित टीम मंगलवार को शहर में खाद्य पदार्थ व मेडिकल स्टोरों की जांच की निकली। शहर के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के स्टोरेज में काफ़ी चूम्पते हुए मिले। वहीं चार दुकानों में चार खाद्य पदार्थ एक्सपायर् मिले। टीम को देखते ही बनभूलपुरा में 20 से अधिक दुकानदार अपने दुकानों के शटर गिराकर भाग गए।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की और गठित टीम में जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा. अजय शर्मा, वरिष्ठ अधिषि निरीक्षक मोनाक्षा विष्ट, नायब तहसीलदार युगल किशोर पंडे की टीम के बनभूलपुरा लाइन नंबर एक में पहुंचते ही खलबली मच गई। जैसे ही टीम ने ताज चौराहे की तरफ से कुछ दुकानों व मेडिकल स्टोरों की जांच शुरू की तो कुछ ही देर में ही लाइन नंबर एक से मंगलपुरा तक के 20 से अधिक दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गईं। दुकानदार भाग खड़े हुए। टीम देखते

- खाद्य सुरक्षा की टीम को एक्सपायरी डेट के नमकीन, तेल और ब्रेड मिले
- जिला विधिक प्राधिकरण के तहत गठित टीम ने की कार्रवाई

हो रहे हैं और लौट आईं। जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता जांचने को लेकर हमारी टीम ने सबसे पहले सरस मार्केट स्थित बीकानेर रेस्टोरेंट में निरीक्षण किया। इस रेस्टोरेंट के स्टोर में काफ़ी चूम्पे थे। खाने व न खाने वाली चीजें एक साथ रखी हुई थी। वहीं बनभूलपुरा में एआर संस ने गोदाम में मीन, सूजी, आटा आदि की सीधे जमीन पर रखा था। जिनमें सीलन लगने का खतरा था। इस लापरवाही पर दोनों दुकान स्वामियों को धारा-32 के तहत नोटिस दिया गया है। 10-15 दिन में व्यवस्था दुबस्त करने को कहा गया है। चार अन्य दुकानों में नमकीन, तेल व ब्रेड एक्सपायरी डेट का रखा हुआ था। एक किराना स्टोर बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था। इसे भी नोटिस थमाया है।

दन्त्या में पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधे रोपे

अल्मोड़ा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दन्त्या क्षेत्र में पौधरोपण किया गया।

इस दौरान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पौध रोपकर पर्यावरण संरक्षण में लोगों से भागीदारी निभाने की अपील की। अभियान के तहत औषधीय पौधे रोपे गए।

इस मौके पर सीनियर सिविल जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शचि शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दया राम, प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी सिविल सोयम ध्रुव सिंह मर्तोलिया, तहसीलदार बरखा जलाल सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवानी पासबोला ने न्यायिक बंदीगृह का निरीक्षण किया

Uttarakhand Voice Desk September 6, 2023



विधिक शिविर में सुलह समझौते से निपटाए गए 52 मामले

टनकपुर (चंपावत)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देश पर न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन शाह की अध्यक्षता में हुई लोक अदालत में 52 मामले सुलह समझौते से निपटाए गए। इसमें पैल अश्विक्ता उमेश डुंगरिया, कमल गड़कोटी, पथरी लिटिगेशन, एमबी एक्ट और पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया गया। प्रिलिटिगेशन के 21 मामलों में 25 लाख 48 हजार 246 रुपये और क्रिमिनल कंपाउंड, एनआईएक्ट, एमबी एक्ट आदि में कुल 31 मामलों में 18 लाख 69 हजार 760 रुपये वसूल किए गए। यहाँ अधिवक्ता एलडी गहतोड़ी, विजय शुक्ला, पीएलवी अजय गुरूरानी, अर्जुन सिंह, सोनी, दीपा देवी, न्यायालय के पेशकार विजय बहादुर वर्मा, नाजर अहलमद भरत बोरा, वैयक्तिक सहायक दिनेश पांडे, राजन राणा, बीना सिरीला, राधिका, कार्यालय सहायक हिमांशु खनका, सरदार त्रिलोक सिंह, बिंदु आदि ने सहयोग दिया। संवाद मोटर दुर्घटना मामलों का भी हुआ निस्तारण

मुख्य पृष्ठ
गूज, चंपावत। शनिवार को जनपद चंपावत में दो स्थानों दीवानी न्यायालय परिसर चम्पावत व अदर खण्ड न्यायालय टनकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय में जिला एवं सत्र न्यायालय में गठित पीठ द्वारा 1 मोटर दुर्घटना क्लेम का निस्तारण कर 5 लाख का सेटलमेंट किया गया तथा दो मेट्रोमोनियल संबंधी मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण वोहरा द्वारा 2 मेट्रोमोनियल, 1 एनआईएक्ट तथा 18 ट्रैफिक चालान के वादों का निस्तारण कर 78 हजार 700 रुपये का सेटलमेंट सहित कुल 21 वादों का निस्तारण किया गया।

सिविल सीनियर जज हेमन्त सिंह राणा द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 1 वाद मेट्रोमोनियल, अन्य सिविल का 1 वाद, व ट्रैफिक चालान के 27 वादों का निस्तारण कर 37 हजार 500 का सेटलमेंट किया गया।



लोहाघाट में चलाया गया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान



जगतसिंह बोहरा
जनाभास, चम्पावत। आज जनपद चम्पावत के लोहाघाट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत लोहाघाट के गुरुकुल विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा के

नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने का कार्य किया जिसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति स्लोगन देकर सड़क सुरक्षा का प्रचार किया गया तथा नगर की मार्ग में होते हुए लोगों को सड़क दुर्घटनाओं एवं घातघात के प्रति जागरूक किया गया इस अवसर पर रैली में विद्यालय के अध्यापक अध्यापकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सड़क सुरक्षा नियमों की दिलाई शपथ



(संवाददाता प्राईम काशीपुर)
किच्छा। गुरुकुल विद्यालय में जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों की दिलाई शपथ। गुरुकुल विद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क सुरक्षा नियमों की पैल अधिवक्ता लालु प्रसाद द्वारा छात्रों को जानकारी दी गई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिव कुमार पाठक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान कार्यक्रम जिला उधम सिंह नगर के सभी तहसीलों में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत विद्यालय के छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है तथा विद्यालयों के छात्रों से सड़क सुरक्षा नियमों के विषय पर निबंध, स्लोगन व पेंटिंग प्रतियोगितायें भी कराई जा रही हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य चमन भाटिया ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की छात्रों को शपथ दिलाई। इस मौके पर पीएलवी रियासत अली, तारा रानी, गुलनाज, मेहनाज कार्यक्रम में मौजूद रहे।

वन स्टॉप सेंटर में लगाया जागरूकता शिविर



आज समाचार सेवा
चंपावत। विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल तथा जिला जज व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कहकशा खान के निर्देशानुसार एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी पसबोला की अध्यक्षता में शनिवार को जनपद मुख्यालय में स्थित वन स्टॉप सेंटर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी पसबोला के द्वारा वन स्टॉप सेंटर में

आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में तथा माननीय नालसा द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त महिलाओं को उनके अधिकारों के सम्बंध में जानकारी प्रदान की गई। उक्त शिविर में वन स्टॉप के कर्मचारीगण, अधिवक्ता रिंतु सिंह, नवीन सिंह विष्ट, दिनेश चन्द्र भट्ट आदि लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

लोहाघाट: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने न्यायिक बंदीगृह लोहाघाट का किया निरीक्षण, बंदियों की सुनी समस्याएं

रिपोर्ट: लक्ष्मण बिट

KalkumaunKhabar September 13, 2023
Last Updated: September 13, 2023

Kali Kumaun Khabar



हल्द्वानी, 3 अक्टूबर, 2023 5

न्यायालय परिसर की सफाई की



आज समाचार सेवा
चम्पावत। गांधी जयंती के अवसर पर जिला न्यायालय चम्पावत सभागार कक्ष में महात्मा गांधी एवं लालबहादुर शास्त्री के जयन्ती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों द्वारा महात्मा गांधी एवं लालबहादुर शास्त्री जी को पुष्पजली दी गई, तत्पश्चात जिला बार संघ के अधिकारगण, कर्मचारीगण एवं न्यायिक अधिकारीगण के द्वारा महात्मा गांधी एवं लालबहादुर शास्त्री के सम्बन्ध में अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। तत्पश्चात प्रभारी जिला

जज, सिविल जज सीओडो हेमन्त सिंह राणा की अध्यक्षता एवं सिविल जज सीडि-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिनेश निर्देशन में जिला न्यायालय चम्पावत के समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं जजशिप के समस्त कर्मचारीगण अधिकारगण आदि के द्वारा जिला न्यायालय चम्पावत के न्यायालय परिसर के अहम पास स्वच्छता अभियान चलाया गया। उक्त कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं विद्वान अधिवक्तागण आदि ने प्रतिभाग किया।

सहारा क्रेडिट छह फीसदी ब्याज संग दे पैसा

नैनीताल। रामनगर निवासी दीक्षा रावत ने सहारा क्रेडिट को ऑर्परेटिव सोसायटी में 6 लाख 83 हजार 760 रुपये की एफडी व आरडी कराई थी। इसी तरह कमला रावत ने 12 लाख 78 हजार 160 रुपये, लता रावत ने 3 लाख 31 हजार 455 रुपये व शिशिर रावत ने 6 लाख 88 हजार 200 रुपये की एफडी व आरडी कराई थी। सभी ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर कर बताया कि उक्त एफडी व आरडी के परिपक्व होने के बाद भी सोसायटी ने उन्हें भुगतान नहीं किया। सोमवार को स्थायी लोक अदालत नैनीताल के अध्यक्ष सुबीर कुमार एवं सदस्य अकरम परवेज और दर्शन सिंह ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्थायी लोक अदालत ने विपक्षी सहारा क्रेडिट कॉ-ऑर्परेटिव सोसायटी लिमिटेड रामनगर को आदेश दिए हैं कि वह दीक्षा रावत, कमला रावत, लता रावत व शिशिर रावत को उनके द्वारा जमा की गई धनराशि छह फीसदी वार्षिक ब्याज समेत भुगतान करे। संवाद

30 लाख रुपये का भुगतान ब्याज सहित करने का आदेश

नैनीताल। स्थायी लोक अदालत नैनीताल ने सहारा क्रेडिट को-ऑर्परेटिव सोसायटी को वादकारियों का करीब 30 लाख रुपये का भुगतान छह फीसदी ब्याज सहित करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार दीक्षा रावत, कमला रावत, लता रावत एवं शिशिर रावत ने स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि विपक्षीगण को सोसायटी से दीक्षा रावत की एफडी एवं आरडी जिनका कुल मूल्य 6,83,760 रुपये, कमला रावत की एफडी एवं आरडी का कुल मूल्य 12,78,160 रुपये, लता रावत की एफडी का कुल मूल्य 3,31,455 रुपये एवं शिशिर रावत की एफडी का कुल मूल्य 6,88,200 रुपये था। यह धनराशि परिपक्व हो जाने के बाद भी विपक्षीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया। अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत नैनीताल सुबीर कुमार एवं सदस्य अकरम परवेज और दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामलों का निस्तारण किया गया। विपक्षी सहारा क्रेडिट को-ऑर्परेटिव सोसायटी लि. नन्दा लाइन रामनगर को आदेश दिया गया कि वह वादकारियों की जमा राशि का भुगतान 6 फीसदी ब्याज सहित करे।

सड़क सुरक्षा नियमों की दी जानकारी



(संवाददाता प्राइम काशीपुर)

बाजपुर। लाल बहादुर शास्त्री हायर सेकेंडरी विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के तत्वाधान में जागरूकता शिविर का आयोजन कर सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत दी जानकारी। प्रधानाचार्य युवराज शर्मा की अध्यक्षता में पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी तथा 9 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी देकर स्कूली छात्रों को जागरूक कर रैली का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर पराविधिक कार्यकर्ता जीवन जोशी, दामिनी शर्मा, सुरेश चंद्र, हाशमी शेख, नंदकिशोर भट्ट, सोनिया सहगल, उमा यादव, मानसी शर्मा, इंदु मेहता आदि मौजूद रहे।

एक नजर

शिविर के माध्यम से बच्चों को सिखाया संस्कार

शाह टाइम्स संवाददाता

खटीमा। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में गुरुवार को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान विषय एवं बच्चों को संस्कारवान बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक शिविर लगाकर बच्चों को संस्कार के गुर सिखाए गए।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के सचिव के आदेश को अनुपालन में विभिन्न जगहों पर जागरूकता शिविर लगाकर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसी क्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा में डॉक्टर देश दीपक गौड़ की अध्यक्षता में एक शिविर का आयोजन हुआ जिसका संचालन विमल कुमार ने किया। शिविर में विमल कुमार, प्रभु प्याल, मीरा देवी, गीता शर्मा, प्रीती राणा, एडवोकेट स्नेह प्रभा, मंजू बिष्ट आदि ने परिवार में बच्चों के प्रति सम्मान व्यवहार व अच्छे आचरण, सरक, री योजनाओं, अच्छे संस्कारों, गुड टच बैड टच, अधिकार एवं कर्तव्य, वैश्वानिक जानकारी व नैतिक शिक्षा आदि के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए बच्चों को जागरूक और प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी कार्यकर्ताओं व विद्यालय के समस्त स्टाफ सहित लगभग 100 विद्यार्थी शामिल रहे।

एससी गुड़िया लॉ कॉलेज में उल्लासपूर्ण मना लोकतंत्र दिवस

(संवाददाता प्राइम काशीपुर)

काशीपुरा सत्येंद्र चंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के द्वारा अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शनिवार को समावेश के मुख्य अतिथि सचिन कुमार पाठक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधम सिंह नगर, विशिष्ट अतिथि उमेश जोशी वरिष्ठ सदस्य, स्थाई लोक अदालत, एडवोकेट अमरीश अग्रवाल अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एवं डॉ. दीपिका गुड़िया आत्रेय उपप्राचार्य, चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय ने संयुक्त रूप से कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया और मां सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित करके वह दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर सचिन कुमार पाठक ने अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की महत्ता



को बताते हुए यह कहा कि स्वस्थ और सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए हम सभी को अपनी कर्तव्यों का भी पालन करना होगा! समाज में अपनी सहभागिता बढ़ानी होगी। विशिष्ट अतिथि उमेश जोशी, अमरीश अग्रवाल और डॉ. दीपिका गुड़िया

आत्रेय तथा एडवोकेट कामिनी श्रीवास्तव, एडवोकेट आकिब डॉक्टर आर एन सिंह प्राचार्य लॉ कॉलेज आशुतोष कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ कॉलेज ने भी लोकतंत्र की महत्ता को प्रकट किया और शेष पृष्ठ 8...पर



कोतवाली का निरीक्षण करते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सचिन पाठक।

अमृत विचार

कोतवाली में व्यवस्थाओं का लिया जायजा

बाजपुर। सोमवार को दोपहर बाद दो बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिविल जज सचिन कुमार पाठक ने टीम के साथ कोतवाली का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अरेस्टिंग व प्री-अरेस्टिंग के समय मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ कितने लोगों को दिया। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी से जानकारी ली गई। ग्रामीण विधिक सेवा एवं सहायता केंद्र बेरिया दौलत का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद, जीवन जोशी आदि मौजूद थे।

विधिक शिविर में बच्चों को दी कानूनी जानकारी

खटीमा। सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिन कुमार पाठक और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गुरुकुल एकेडमी चक्रपुर में वरिष्ठ नागरिक विधिक सेवा योजना और माता-पिता के संरक्षण भारत पोषण के अधिकार पर गोष्ठी आयोजित की गई। सिविल जज पाठक ने बच्चों को माता-पिता के संरक्षण और विधिक के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अधिवक्ता चंचल सिंह और स्नेहा प्रभा ने छात्र-छात्राओं को गुड टच बैड टच, पॉस्को अधिनियम एवं बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियम आदि के बारे में जानकारी दी। संचालन आरबी सिंह राणा ने किया। प्रभुदयाल ने समाज की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानाचार्य भावना जोशी, बलवंत सिंह, आशा रानी, कमला गोस्वामी, समिता, मीरा देवी, गीता शर्मा रहे।

बेटे के नाम की संपत्ति वापस ले सकते हैं बुजुर्ग



जसपुर के गांव हजीरो में जागरूकता शिविर में मौजूद ग्रामीण। ● अमृत विचार

संवाददाता, जसपुर

अमृत विचार : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्राम हजीरो में वरिष्ठ नागरिक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिन कुमार पाठक रहे।

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर के हैं और उनके पुत्र परेशान करते हैं। रोटी नहीं देते या मारते पीटते हैं तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। उन्हें निशुल्क न्याय मिलेगा। किसी बुजुर्ग ने अपना घर या संपत्ति बेटे के नाम कर दी है तो उसे वापस लिया जा सकता है। गरीब व्यक्ति वकील नहीं कर

● जसपुर के हजीरो गांव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

सकते हैं तो उनके लिए प्राधिकरण से निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करने की व्यवस्था है।

इस मौके पर उन्होंने ग्राम वासियों समस्याएं भी सुनीं और उनका निराकरण कराने का आश्वासन दिया। शिविर की अध्यक्षता ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जह्द हसन ने की। इस अवसर पर पैनल अधिकतम राजवीर सिंह, संदीप कुमार शर्मा, पी एल वी वीर सिंह गौतम, लता देवी, आदेश कुमार, संगीता रानी, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।

सिविल जज सचिन कुमार पाठक ने शिविर के समापन के बाद जसपुर कोतवाली एवं कुंडा थाने का निरीक्षण भी किया।

सड़क सुरक्षा नियमों की दी जानकारी



(संवाददाता प्राईम काशीपुर)

बाजपुर। लाल बहादुर शास्त्री हायर सेंकेंडरी विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के तत्वावधान में जागरूकता शिविर का आयोजन कर सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत दी जानकारी। प्रधानाचार्य युवराज शर्मा की अध्यक्षता में पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी तथा 9 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी देकर स्कूली छात्रों को जागरूक कर रैली का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर पराविधिक कार्यकर्ता जीवन जोशी, दामिनी शर्मा, सुरेश चंद्रा, हाशमी श्रेष्ठ, नंदकिशोर शर्मा, सोनिया सहगल, उमा यादव, मानसी शर्मा, इंद्र मेहता आदि मौजूद रहे।

सोमवार 4 सितंबर 2023

छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली



(संवाददाता प्राईम काशीपुर) बाजपुर। इंटर कॉलेज के छात्रों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत निकाली जागरूकता रैली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के तत्वावधान में 30 का 0 बाजपुर में प्रधानाचार्य कैप्टन सतपाल

सिंह की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर के माध्यम से पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने सड़क सुरक्षा नियम व 9 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देकर छात्रों को जागरूक कर मुख्य बाजार में निकाली जागरूकता रैली। इस दौरान पीएलवी गीताजोशी कार्यक्रम प्रभारी भूपेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार शर्मा, हरपाल सिंह, हेमंतवण, ललित जोशी, जगदीश चंद, धरंज सक्सेना, विवेक सक्सेना सहित विद्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे।

पर गिर सकती है गाज
स्पतालों को नोटिस भेजकर मांगा

सचिव सिविल जज ने किया कोतवाली का औचक निरीक्षण संस, बाजपुर। सोमवार दोपहर बाद दो बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिविल जज सचिन कुमार पाठक ने टीम के साथ औचक कोतवाली का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अरेस्टिंग व प्रीअरेस्टिंग के समय मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ कितने लोगों को दिया गया इस बारे में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप सिंह कोश्यारी से जानकारी ली गई। वहीं ग्रामीण विधिक सेवा एवं सहायता केंद्र बेरिया दौलत का भी औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर परा विधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद, जीवन जोशी आदि मौजूद थे।

पौधरोपण कर जागरूक किया

अमृत विचार, बाजपुर



राजकीय इंटर कॉलेज बेरिया दौलत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण व पौधरोपण के प्रति लोगों में जागरूक लाने ले लिए रैली निकाली। उद्घाटन प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज सचिन कुमार पाठक ने किया। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य धीरज शर्मा ने की।

बाजपुर में जन-जागरूकता रैली निकालते स्कूली बच्चे व शिक्षक।

इस मौके पर ममता शर्मा, संख्या रानी, प्रीति रानी, नीरू बिष्ट, पूजा रानी आदि मौजूद थीं। वहीं ग्राम पंचायत दिव्योहरी के सभागार में ग्राम प्रधान रंज पारुल की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज सचिन कुमार पाठक व एडवोकेट लुबीना पारुल पहुंचे। इसके अलावा ग्राम मनुमा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में फलदार पौधे रोपे गए। इस मौके पर पराविधिक कार्यकर्ता जीवन जोशी, रियाज अहमद, शशि गुप्ता, शेर मोहम्मद आदि मौजूद थे।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन

शाह टाइम्स संवाददाता

खटीमा। नागरिक चिकित्सालय में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मनोज कुमार पांडे



तथा संचालन पीएलवी विमल कुमार ने किया। डा. पांडे ने बताया कि हेपेटाइटिस अशुद्ध पानी पीने और लापरवाही की वजह से फैलता है। हेपेटाइटिस लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देता है। वायरल संक्रमण के कारण यह बीमारी होती है जो लिवर से जुड़े परेशानियां जैसे लीवर की सूजन से लेकर लिवर कैंसर तक पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि मानसून में हेपेटाइटिस बी का खतरा अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि दूषित जल, दूषित भोजन आदि को क्षतिग्रस्त कर सकता है। सुपरवाइजर गंगा जोशी ने हेपेटाइटिस टीकाकरण की जानकारी दी तथा विमल कुमार ने खानपान पर विशेष ध्यान देने के लिए समझाया। वहीं पैनल अधिवक्ता बुजेश कुमार, शाहाना बेगम तथा चंचल सिंह ने कानून संबंधित जानकारियां दीं। इस अवसर पर पीएलवी अनु भटनागर, समीता, कमला गोस्वामी, मंजू बिष्ट, मायादेवी, आरबी सिंह, पिंकी राणा, बलवंत राणा, डग्गी, आसमा खातून, आशा रानी, गीता शर्मा, मीरा देवी, प्रीति राणा, प्रभु दयाल, लाल सिंह, नसीर अहमद आदि उपस्थित रहे।

कैंप के माध्यम से विभिन्न विषयों पर दी गई विधिक जानकारी

विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता शिविर

मुख्यमंत्री मलिक खटीमा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के आदेश के क्रम में ग्राम चारुबेटा राजकीय इंटर कॉलेज में चाल विवाह, बाल श्रम, कन्या भ्रूण हत्या, पाक्सो अधिनियम तथा मानव तस्करी विषय पर कैंप का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य राम नारायण वर्मा ने की जहां बतौर मुख्य अतिथि पूर्व उप ब्लाक प्रमुख रेखा सोनकर और विशिष्ट अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सीनियर डिवीजन जज सचिन कुमार पाठक मौजूद रहे। संचालन प्रभु दयाल पीएलवी ने किया। पैल अधिवक्ता शहाना बेगम ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में पीएलवी विमल कुमार ने नरेश



और वृक्षारोपण के बारे में नसीर अहमद ने अनुशासन और उससे होने वाले लाभ के बारे में, कमला गोस्वामी ने घरेलू हिंसा के बारे में, आसमा खातून ने सरकारी योजनाओं के बारे में, प्रीति राणा ने लोक अदालत स्थाई लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। वहीं सचिव जिला

विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन कुमार पाठक ने लिंग भेद, महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण, महिला स्वरक्षा, जमीन संबंधी विवाद, वृक्षारोपण, एमवी एक्ट तथा वृक्षारोपण आदि से संबंधित जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ के किशोर कुमार, धर्मेन्द्र प्रसाद शुक्ला,

सीमा आर्य, रामानंद सिंह, सुरज नाथ, पीएलवी आरवी सिंह, कमला, कमला गोस्वामी, अनू भटनागर, मीरा देवी, भगवती देवी, टगो देवी, मंजू बिट्ट, लाल सिंह, आशारानी, बलवंत राणा, नसीर अहमद, गीता शर्मा, प्रीति राणा, पिकी राणा, समिता राणा, आशा देवी आदि उपस्थित रहे।

बाजपुर। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित सभागार में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए परा विधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने बताया कि सीएचसी बाजपुर में आयोजित जागरूकता शिविर में जनसंख्या स्थिरीकरण की जानकारी दी गयी। जनसंख्या स्थिरीकरण परामर्शदाता प्रकाश बचखेती ने जनसंख्या को नियंत्रण करने के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। परा विधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएचसी के प्रभारी डॉ. पंकज माधुर ने की।

जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को दी कानून की जानकारी



(संवाददाता प्राईम काशीपुर)

बाजपुर। ग्राम पंचायत दियोहरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के तत्वधान में जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत दियोहरी के सभागार में ग्राम प्रधान रुना पारुल की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर सचिव व सिविल जज सचिन कुमार पाठक व एडवोकेट लुबीना पारुल ने नालसा (एसिड अटैक पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजनाएं) 2016 विषय पर ग्रामीणों को जानकारी दी। पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधमसिंह नगर की ओर से मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा ग्राम नमूना प्राथमिक विद्यालय व राजकीय इंटर कॉलेज बैरिया दौलत में फलदार पौधे लगा कर स्कूली छात्र छात्राओं को वृक्षारोपण के लाभ से संबंधित जानकारी दी। इस मौके पर पराविधिक कार्यकर्ता जीवन जोशी, रियाज अहमद, शशि गुप्ता, शेर मोहम्मद आदि मौजूद रहे

अमृत विचार

सोमवार, 17 जुलाई 2023

www.amritvichar.com

नागरिक चिकित्सालय में खुला विधिक सहायता केंद्र

खटीमा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीनियर डिवीजन जज सचिन कुमार पाठक ने नागरिक अस्पताल में ग्रामीण विधि सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र के प्रभारी पीएलवी विमल कुमार ने बताया कि कमरा नंबर 121 में खुले केंद्र में ग्रामीण एवं शहरी जनता को कानून संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही वृद्ध समेत विभिन्न पेशन समेत अन्य सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया यह क्लीनिक सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को खुलेगा। समस्त सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी।



खटीमा नागरिक अस्पताल में विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन करते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीनियर डिवीजन जज सचिन कुमार पाठक।

सिविल जज ने छात्रों के साथ लगाए पौधे

बाजपुर। राजकीय इंटर कॉलेज बैरिया दौलत में जिला साक्षरता विधिक शिविर में पहुंचे सिविल जज सचिन पाठक ने विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के साथ पौधरोपण किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य धीरज शर्मा ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज बैरिया दौलत बाजपुर में जिला साक्षरता विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे सिविल जज सचिन पाठक ने छात्र छात्राओं को विभिन्न विषयों पर विधिक जानकारी दी। इस अवसर पर प्रजापति, गंगवार, ममता शर्मा, रोशनी, प्रीति रानी, नीरू बिष्ट एवं पूजा रानी के अलावा तमाम छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहीं।



बैरिया दौलत इंटर कॉलेज में पौधरोपण करते जज

हेरला पर्व पर किया पौधरोपण

कुंडा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर करनपुर में हेरला पर्व पर पौधरोपण किया गया। प्रकृति में अपना विशेष योगदान देने वाले पौधे पीपल, नीम, आंवला, बांसी इत्यादि प्रजाति के पौधे रोपे गए। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक रवि साहनी, जितेंद्र यादव, रीना मीर्य, रवि धामी, प्रधानाचार्य हरिश गोस्वामी, प्रमोद कुमार, रमेश तिवारी, मोनिका बाटला, आंचल साहनी आदि उपस्थित रहे।

शिविर में दी हेपेटाइटिस बचाव की जानकारी



(संवाददाता प्राईम काशीपुर)

बाजपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के तत्वधान में विश्व हेपेटाइटिस दिवस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर के सभागार में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीडी गुप्ता की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉ. पीडी गुप्ता ने हेपेटाइटिस के बचाव के विषय में जानकारी दी। पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया। इस मौके पर डॉक्टर विनीत कोठारी, डॉ. विनय यादव, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर एकता तिवारी, डॉ. पूजा, हरिश्चंद्र प्रकाश बचखेती, नन्हे, तिरप्ता आर्य आदि मौजूद रहे।



सिविल जज मनोज सिंह राणा के नेतृत्व में पौधरोपण करते प्राधिकरण के कार्यकर्ता ।

न्यायालय परिसर में पौधरोपण किया

जसपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए पौधरोपण अभियान के तहत हरैला पर्व के उपलक्ष्य में सिविल जज मनोज सिंह राणा के नेतृत्व में सिविल न्यायालय परिसर, जसपुर में पौधरोपण किया गया । उन्होंने पौधरोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कि पेड़ों को कुदरत का अनमोल तोहफा बताया । कहा पेड़ों के बिना जीवन असंभव है । पेड़ हमें न केवल ऑक्सीजन व भोजन प्रदान करते हैं, बल्कि यह शुद्ध हवा, फल व औषधियां भी देते हैं । इसके अलावा पेड़ हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित रखते हैं तथा प्रकृति को हरा भरा बनाते हैं । इस अवसर पर पैलन अधिवक्ता राजवीर सिंह, सदीप शर्मा एडवोकेट, न्यायालय कर्मी, पीएलबी वीर सिंह गौतम, संगीता रानी, आदेश कुमार, लता देवी आदि मौजूद रहे ।

सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कैंप रैली व प्रतियोगिता का आयोजन

शाह टाइम्स संवाददाता खटीमा। पीलीभीत रोड मुंढेली स्थित रामस्वरूप भगत माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को प्राधिकरण सचिव के आदेश के अनुपालन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रैली निकाल कर तथा नुककड़ नाटक के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया। उत्प्रेरणा तथा स्लोगन, ड्राइंग तथा विक्थ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साह और उमंग के साथ बह-बहकर प्रतिभाग किया।

इस दौरान श्रम्य विचारों के निपटार हेतु नौ सितम्बर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई तथा लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को अध्यक्षता प्रधानाचार्य पुष्कर सिंह पंचखरिया तथा संचालन प्रभु दयाल ने



किया। शिविर में पैलन अधिवक्ता शाहना बेगम ने व्हीकल एक्ट और सड़क सुरक्षा, पीएलबी विमल कुमार ने नशे की बहती हुई प्रवृत्ति को रोकने, शिक्षा का अधिकार, तथा शिक्षा पर ध्यान देकर सभी को साक्षर होना, मीरा देवी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, गीता शर्मा ने धरतू हिंसा, उमंग देवी ने कैंटोरी ब्लाइज प्रो पैलन अधिवक्ता को उपलब्धता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर

लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम क्षेत्र के प्रत्येक स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में एक सितंबर से 15 सितंबर तक लगातार चलता रहेगा।

इस दौरान मनोज, गरिमा, आफरोन, विजय, अंशिका दीपक, अंशुजा, मोना, खुरशी, चंद, मंजू, सपना, सोनाली, मंजू चौहान, अमर पाल, हर्षदेव, जितेंद्र, अनुराग, अमोक्त, मधु, विजेंद्र तथा पुनम आदि मौजूद रहे।

छात्रों को दी सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी



(संवाददाता प्राईम काशीपुर)

बाजपुर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में प्रचार्य डॉ० कमल किशोर पांडे की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि सचिन कुमार पाठक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में एसएसआई गोविंद सिंह मेहता ने सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। पैलन अधिवक्ता महोपाल सिंह ने 9 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देकर छात्रों को जागरूक किया। इस मौके पर पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद, जीवन जोशी, गीता जोशी, रियाज अहमद, छात्र संघ अध्यक्ष दीपक चौधरी सहित विद्यालय के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे।

अमर उजाला

नैनीताल | सोमवार, 17 जुलाई 2023

2

खटीमा चिकित्सालय में विधिक सहायता केंद्र का हुआ शुभारंभ

खटीमा। उप जिला चिकित्सालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और सीनियर डिप्टी सचिन कुमार पाठक ने उप जिला चिकित्सालय में ग्रामीण विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र में ग्रामीण और शहरी जनता को कानून संबंधित जानकारी दी जाएगी। केंद्र सप्ताह में शुक्रवार और शनिवार को खुलेगा। केंद्र में पीएलबी विमल कुमार बैठेंगे। संवाद

काम की खबर 01

रोटरी क्लब काशीपुर ने होम्योपैथी केंद्र खोला

काशीपुर। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर ने रोटरी भवन न्यू चामुंडा विहार में एक होम्योपैथी सेंटर खोला है। प्रमुख उद्योगपति प्रबल अग्रवाल ने देवेन्द्र अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया। क्लब के अतुल असावा ने कहा कि मानवता की सेवा में क्लब की ओर से इस होम्योपैथी केंद्र की शुरुआत की गई है। उन्हीं बतलाया डॉ. प्रेरणा जोशी प्रतिदिन सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक रोगियों को देखेंगी। क्लब की ओर से एक अग्रवाल, मुक्ता सिंह, नवीन अरोरा, राज शुक्ल पर किया जा रहा है। वहां डॉ. केके, अग्रवाल, मुक्ता सिंह, नवीन अरोरा, राज शुक्ल, राजीव खरबंदा, विनीत अग्रवाल, मुनेश बंसल, अमित जैन आदि थे। संवाद

सार-संक्षेप

छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक



जसपुर । सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राविधिक कार्यकर्ताओं ने जसपुर के बीएम इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी। साथ ही वाहन चालकों को हेल्मेट पहनने की सलाह दी। शिविर का संचालन इखित्यार बबलू ने किया। इस दौरान पैलन अधिवक्ता राजवीर सिंह, पीएलबी वीर सिंह गौतम, मुनेश कुमार, लता देवी आदि मौजूद रहीं।

यातायात नियमों का पालन करने के लिए शिविर लगाकर किया जागरूक

संवाददाता, खटीमा

अमृत विचार : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की दो टीमों ने ज्ञानदीप उच्च माध्यमिक विद्यालय गांगी और अलविदी गांव में यातायात नियमों के प्रति बच्चों और ग्रामीणों को जागरूक किया। बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली।

प्राविधिक कार्यकर्ता आरबी सिंह राणा ने कहा कि दुपहिया वाहन चलाने समय हेल्मेट, कार चलाने समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। साथ ही वाहन चलाने समय यातायात के नियमों का पालन करें। इस दौरान बच्चों ने नुककड़ नाटक पेश किए। यहां प्रबंधक दिगंबर सिंह बोरा, प्रधानाचार्य जनक बहादुर चंद, पिंकी राणा, आशा रानी, माया देवी, समित राणा आदि मौजूद रहे।

अलविदी गांव में भी शिविर और रैली का आयोजन किया



खटीमा के अलविदी गांव में यातायात नियम समझाती महिला अधिवक्ता ।

● दोपहिया वाहन चलाने समय हेल्मेट लगाना जरूरी

गया। कॉन्स्टेबल संतोष प्रसाद ने ग्रामीणों से नशे से दूर रहने को कहा। कहा कि गांव के अंदर कोई भी गलत गतिविधि नजर आए तो पुलिस को सूचना दें। पीएलबी विमल कुमार ने नशे की बहती प्रवृत्ति को रोकने और शिक्षा पर

ध्यान देने पर बल दिया। पैलन अधिवक्ता शाहना बेगम ने मोटर व्हीकल एक्ट और सड़क सुरक्षा के बारे में बताया। मीरा देवी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सेवाओं के बारे में बताया। इस दौरान गीता शर्मा, उमंग देवी ने भी जागरूक किया। संचालन प्रभु दयाल ने किया।

बाजपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत निकाली जागरूकता रैली



(संवाददाता प्रार्थम काशीपुर)

बाजपुर। राजकीय इंटर कॉलेज बेरिया देवल में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली गई। राजकीय इंटर कॉलेज बेरिया देवल में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के तत्वाधान में पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने सड़क सुरक्षा के नियमों व 9 सिलेंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी देकर स्कूली छात्रों को जागरूक रैली का आयोजन किया। इस मौके पर पराविधिक कार्यकर्ता जीवन जोशी, गीता जोशी, प्रधानाचार्य डॉक्टर धीरज शर्मा, कृष्णपाल सिंह यादव, पीयूष कान्त भादुर, पूजा राणी, ममता शर्मा, प्रीति राणी, सर्वेश गंगवार, सुभाष चंद्र यादव, राजेश कुमार, संघ्या राणी आदि मौजूद रहे।

शिविर के माध्यम से दी साइबर क्राइम की जानकारी



(संवाददाता प्रार्थम काशीपुर)

बाजपुर। पहाड़ी कॉलोनी वार्ड नंबर 11 के आंगनवाड़ी केंद्र में जागरूकता शिविर के माध्यम से साइबर क्राइम, इंटरनेट सोशल मीडिया धोखाधड़ी के संबंध में जानकारी दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीना सैनी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधमसिंह नगर के तत्वाधान में पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने जागरूकता शिविर के माध्यम से साइबर क्राइम, इंटरनेट व सोशल मीडिया धोखाधड़ी के संबंध में व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर पराविधिक कार्यकर्ता जीवन जोशी, गीता जोशी, ललिता भट्ट, पूनम, रजनी, रेखा, आरती, रूपवती, सर्वेश देवी, खुशी आदि मौजूद रहे।



जागरूकता शिविर में मौजूद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकर्ता।

वरिष्ठ नागरिकों को दी अधिकारों की जानकारी

जसपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राविधिक कार्यकर्ताओं ने ग्राम कुंडा में निशुल्क जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 के तहत अधिकारों की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा लोगों को सफाई के प्रति भी जागरूक किया। इस अवसर पर पैनाल अधिवक्ता राजवीर सिंह, पीएलवी वीर सिंह सिंह गौतम, सोनु कुमार, लता देवी, मुनेश कुमारी आदि मौजूद रहे।

स्कूल के बच्चों को यातायात के नियमों के पालन के लिए किया जागरूक किया



सितारगंज बुधवार को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बच्चों को यातायात तथा हेलमेट की अनिवार्यता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कटनी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपालन में को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य व सहयोगी अध्यापक की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के उल्लंघन के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय सचिन पाठक की गरिमा में उपस्थिति रही तथा सचिव सचिन पाठक व पैनाल अधिवक्ता मनोरमा गुप्ता के द्वारा सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के उल्लंघन के बारे में व समाज में बढ़ते हुए नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया तथा डीएलबी मंजू रानी व मनोज कुमार द्वारा हेलमेट की विशेषता के बारे में बताया तथा बिना कागजात के मोटरसाइकिल ना चलने के बारे में बताया गया तथा स्लोगन दिया हेलमेट लगाओ जान बचाओ। इसी दौरान बाल आयोग के सदस्य सुमन राय ने भी कहा कि नाबालिक बच्चों को बाइक ना चलने दें और परिवार के लोग उनका विशेष ध्यान रखें कि वह तब तक बच्चों को बाइक ना दें जब तक वह लाइसेंस ना बन जाए तथा 18 वर्ष। होने पर ही बाइक चलाने दें और बाइक चलाने समय हेलमेट का विशेष ध्यान दें बिना हेलमेट के बाइक ना चलाएं और न चलने दें। वहां उपस्थित बच्चों को एक स्लोगन भी दिया गया हेलमेट लगाओ जान बचाओ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

खटीमा। आदर्श इंटर कॉलेज इनकट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के सचिव के आदेश के अनुपालन में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत एक रैली का आयोजन किया गया साथ ही ड्राईंग, स्लोगन तथा निबंध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई तथा उनका हौसला अफजाई किया गया। कैंप की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा सफल संचालन प्रभु दयाल ने किया। इस दौरान पैनाल अधिवक्ता शाहना बेगम ने व्हीकल एक्ट और सुरक्षा के बारे में, पीएलवी विमल कुमार ने युवाओं



में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति और उसके दुष्परिणाम के बारे में, मीरा देवी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में, गीता शर्मा ने घरेलू हिंसा के बारे में तथा उम्मा देवी ने प्रेरे पैनाल अधिवक्ता की सुविधा के बारे में कैटिगरी वाइज विस्तार से जानकारी दिया। वहीं पीएलवी विमल कुमार ने जागरूकता

देते हुए बताया कि यह अभियान प्रत्येक स्कूलों में 1 सितम्बर से 15 सितम्बर तक लगातार चलेगा तथा इस अभियान में प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग भी शामिल रहेंगे। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित रैली और कैंप में विद्यालय के समस्त स्टाफ गणमान्य व्यक्ति तथा सभी छात्र-छात्रा उपस्थित रहे।

ग्राम बिडौरा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता पड़ने पर समाज के वरिष्ठ वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं सिविल जज सैनियर डिजिजन सचिन कुमार पाठक ने ग्राम बिडौरा किच्छा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के आदेश के अनुपालन में वरिष्ठजनों के लिए आयोजित निःशुल्क विधिक सेवा जागरूकता शिविर में वरिष्ठ मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 विषय पर बोले तथा न्यायधीन सचिन कुमार पाठक ने कहा कि प्राधिकरण कई स्तरों पर काम करता

है। जैसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। उन्होंने बताया



कि जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं। उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता होती है। जैसे किसी वृद्ध का बेटा या बहू मारते हैं पीटते हैं या घर से निकलते हैं और

दरवाजे खुले हैं उसको निःशुल्क सहायता मिलेगी। उन्होंने वृद्ध आश्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सड़क सुरक्षा, नशा उन्मूलन व घरेलू हिंसा के बारे में भी जागरूक किया। शिविर के दौरान उन्होंने लोगों को शिक्षायतो का निराकरण करने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर पैनाल एडवोकेट लल्लू प्रसाद, पीएलवी गुलनाज मलिक, मेहननाज मलिक, बान्कलाल, रियासत अली, धर्मेन्द्र, शिखा, हेमलता कटरिया तथा गांव के भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। आयोजित शिविर की गांव के सभी लोगों ने प्रशंसा की और कहा कि ऐसे शिविर समय-समय पर होते रहने चाहिए जिससे कि जतना भी जागरूकता आए और वह अपने अधिकारों को समझ सकें।

विधिक सेवा प्राधिकरण के शिविर व रैली आयोजित

(संवाददाता प्रार्थम काशीपुर)

जसपुर। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर एवं रैली का आयोजन नगर के ओपी सिंह हाईस्कूल में किया गया। जिसका विषय/ सड़क सुरक्षा सह जागरूकता अभियान रैली था। इस अवसर पर पीएलवी डॉक्टर बीएस गौतम ने कहा कि हमें बाइक चलाने समय हेलमेट का प्रयोग करना अति आवश्यक है तथा शराब पीकर बाइक ना चलाएं और बाइक चलाने समय मोबाइल से बात ना करें सड़क पर दारू बाएं देखकर चलें पीएलवी सोनु कुमार ने निःशुल्क अधिवक्ता दिलाए जाने तथा बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर से संचालित होने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी शिविर/ रैली में लगभग बाईस छात्र छात्राओं ने प्रतिभा किया प्रोग्राम की अध्यक्षता स्कूल के प्रबंधक सी अजीत कुमार चौहान द्वारा की गई इस अवसर पर पीएलवी टीम नंबर 15 से डॉ. बीएस गौतम सोनु कुमार मुनेश कुमार अंजलि एवं गीता सहित स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा

SUCCESS STORIES

01

दिनांक 09/09/2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सफलता की कहानी

प्रार्थी सोहन लाल रतूड़ी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र थाना लक्ष्मणझूला में इस आशय का प्रस्तुत किया गया था, कि उसके द्वारा मदन सिंह से जमीन खरीदी गयी थी जिसकी रजिस्ट्री भी हो गयी थी और उसके द्वारा जमीन की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेता को अदा कर दी गयी थी। किन्तु विक्रेता मदन सिंह द्वारा जालसाजी पूर्वक व प्रार्थी को धोखे में रखकर उक्त भूमि पुनः किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की फिराक में है, प्रार्थी द्वारा विक्रेता मदन सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी थी तत्पश्चात् थाना लक्ष्मणझूला द्वारा विक्रेता मदन सिंह के विरुद्ध धारा-420 भा0द0सं0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् विक्रेता मदन सिंह के विरुद्ध माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी के समक्ष उक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त मदन सिंह के विरुद्ध आरोप विरचित कर विचारण प्रारम्भ किया गया। चूंकि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग धारा 320 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शमनीय प्रकृति का होने के कारण विचारण के दौरान वादी मुकदमा सोहन लाल रतूड़ी व अभियुक्त मदन सिंह न्यायालय में उपस्थित आये व दोनों पक्षों के मध्य पक्षकारों द्वारा आपस में वार्ता की गयी। तत्पश्चात् दोनों पक्षों के आपसी सुलह-समझौता होने पर पक्षकारों द्वारा माननीय न्यायालय में राजीनाम प्रस्तुत किया गया व वादी मुकदमा द्वारा उक्त वाद में कोई बल न दिये जाने की प्रार्थना की गयी व मामले का निस्तारण राजीनामा के आधार पर किये जाने की याचना की गयी। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 09/09/2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों में सुलह-समझौते के आधार पर उक्त प्रकरण का निस्तारण कर अभियुक्त मदन सिंह को दोष मुक्त किया गया।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी

माह-सितम्बर 2023

सफलता की कहानी

श्रीमती पूजा विष्ट पत्नी, श्री यशपाल विष्ट निवारी ग्राम-नगाडा पट्टी ठकराल तहसील बडकोट जिला उत्तरकाशी हाल पता समन्वय शिक्षा जिला परियोजना कार्यालय उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 19.08.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के फ्रंट कार्यालय में आकर प्रार्थना पत्र दिया कि प्रार्थिनी अपने तीन वर्ष के पुत्र के साथ अपने पति व ससुराल वालों से तंग आकर अलग रहती है क्योंकि प्रार्थिनी का पति प्रार्थिनी के चरित्र पर लांछन लगाता है। और परिवार वाले अपने पुत्र का सहयोग करते हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थिनी के पति एवं ससुराल वालों को पारिवारिक काउन्सिलिंग हेतु दिनांक 25.08.2023 को सूचना देकर फ्रंट कार्यालय में बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को साथ बैठकर काउन्सिलिंग की गई। जिसमें समझौता न होने की स्थिति में दोनों पति पत्नी की सहमति से पुनः काउन्सिलिंग हेतु दिनांक 15.09.2023 को नियत की गई जिसमें दोनों पति पत्नी उपस्थित हुए और काउन्सिलिंग सुबह 11 बजे से सांय 04 बजे तक चली जिसमें मेरे व फ्रंट कार्यालय में श्री अनिल सिंह पी0एल0वी0 के अथक प्रयास से दोनों पति पत्नी को समझाया गया और तब दोनों पति पत्नी बच्चे सहित सुखी से साथ-साथ दामपत्य जीवन बिताने के लिए तैयार हो गये।

मेरे द्वारा व पी0एल0वी0 श्री अनिल सिंह के अथक प्रयास से दोनों पक्षकारों के बीच में कुशलता पूर्वक सुलह-समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण किया गया।


(प्रवीन सिंह)

STATUS OF FULL TIME SECRETARIES/TLSC/PLVS/PANEL LAWYERS/RETAINER LAWYERS/MEDIATORS/LEGAL AID CLINICS/FRONT OFFICE/MEDIATION CENTERS

As on 30.09.2023

NAME OF DLSA	No. of Full Time Secretary	No. of TLSCs Con-stituted	No. of Panel Lawyers	No. of Retainer Lawyers	No. of trained PLVs	No. of Legal Aid Clinics	No. of Front Offices	No. Medi-ation Centers	No. of Mediators
ALMORA	01	03	13	01	80	34	01	01	04
BAGESHWAR	01	01	07	01	55	20	01	01	03
CHAMOLI	01	05	08	01	69	12	01	01	01
CHAMPAWAT	01	01	11	01	60	17	01	01	03
DEHRADUN	01	04	45	01	80	55	01	02	25
HARIDWAR	01	02	34	01	52	34	01	03	22
NAINITAL	01	02	40	01	72	08	01	03	04
PAURI GARHWAL	01	04	26	01	69	26	01	02	05
PITHORAGARH	01	04	10	01	21	03	01	01	04
RUDRAPRAYAG	01	01	06	01	89	44	01	01	01
TEHRI GARHWAL	01	02	26	01	55	27	01	01	03
U. S. NAGAR	01	05	50	01	81	24	01	03	11
UTTARKASHI	01	02	17	01	60	19	01	01	08
HCLSC	01	-	24	01	-	-	01	01	09
TOTAL	14	36	317	14	843	329	14	21	111

CONSOLIDATED STATISTICAL INFORMATION OF THE LOK ADALAT/LEGAL AID PROGRAMMES ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FROM

(JULY-2023 TO SEPTEMBER-2023)

S.N.	Name of District	Total No. of Lok Adalats Held	Total No. of Cases Taken up	Total No. of Cases Disposed off	Compensation/Settlement Amount	Realized as Fine (in Rs.)	Total No. of Persons Benefited in Lok Adalats	No. of Camps/Sensitization Programmes Organized	Total No. of Persons Benefited in Camps	No. of Persons Benefited Through Legal Aid & Advice	
										Legal Aid	Advice/Other Services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	ALMORA	01	158	134	1,64,95,768	-	134	489	36847	36	579
2	BAGESHWAR	03	206	91	33,64,685	20,000	91	358	16686	19	74
3	CHAMOLI	04	151	69	86,62,421	58,500	69	781	32146	17	39
4	CHAMPAWAT	04	340	168	55,26,210	2,31,200	168	456	22895	32	-
5	DEHRADUN	04	13015	7830	15,96,95,130	9,98,300	7830	205	15526	309	1150
6	HARIDWAR	01	1917	1782	11,91,73,997	-	1782	179	10762	261	-
7	NAINITAL	04	2669	1482	6,47,12,678	8,84,800	1482	162	9801	131	11
8	PAURI GARHWAL	04	671	655	1,26,80,029	1,49,200	655	267	11110	43	918
9	PITHORAGARH	03	1388	326	1,38,91,426	1,81,400	326	197	10709	32	01
10	RUDRAPARYAG	04	371	130	81,88,294	98,650	130	54	4198	37	04
11	TEHRI GARHWAL	04	551	382	3,19,73,101	-	382	375	17068	32	03
12	U. S. NAGAR	04	4571	3768	14,69,42,556	3,59,300	3768	616	68138	178	59
13	UTTARKASHI	01	233	211	1,48,97,818	-	211	198	11843	33	-
14	HCLSC, NTL	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-
15	UKLSA, NTL	-	-	-	-	-	-	01	725	-	68
	TOTAL: -	41	26241	17028	60,62,04,113	29,81,350	17028	4338	268454	1258	2906
16	CONSUMER COURTS	02	34	13	12,48,969	-	-	-	-	-	-
17	DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN	01	26	21	15,35,00,000	-	-	-	-	-	-
	TOTAL: -	03	60	34	15,47,48,969	-	-	-	-	-	-
	GRAND TOTAL: -	44	26301	17062	76,09,53,082	29,81,350	17028	4338	268454	1258	2906

PROGRAMMES / ACTIVITIES INSIDE JAIL CAMPUS DURING

(JULY-2023 TO SEPTEMBER-2023)

S.N.	Name of District	Lok Adalats organized in jails		Legal Literacy Camps organized in jails		Legal Aid provided to under trial prisoners	Jail visit
		No. of organize Lok Adalats	No. of cases disposed off	Camps organized	Benefitted persons	Number of Benefitted under trial prisoners	Total Number of Jail visit
1	ALMORA	01	-	10	1821	28	07
2	BAGESHWAR	-	-	02	150	11	-
3	CHAMOLI	-	-	04	40	12	07
4	CHAMPAWAT	-	-	03	76	14	04
5	DEHRADUN	03	107	-	-	245	17
6	HARIDWAR	03	76	05	2200	220	01
7	NAINITAL	-	-	04	972	110	01
8	PAURI GARHWAL	-	-	08	855	31	20
9	PITHORAGARH	-	-	32	1889	21	-
10	RUDRAPRAYAG	-	-	11	433	16	-
11	TEHRI GARHWAL	01	02	09	1268	18	-
12	U.S. NAGAR	03	68	03	404	141	04
13	UTTARKASHI	-	-	12	891	21	-
14	H.C.L.S.C. NTL	-	-	-	-	-	-
	TOTAL :-	11	253	103	10999	888	61

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF PERMANENT LOK ADALATS
(Established U/S 22B of Legal Services Authority Act)

(JULY-2023 TO SEPTEMBER-2023)

- (i) No. of PLAs existing :- 07 (Almora, Dehradun, Haridwar, Nainital, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal and U. S. Nagar)
(ii) Total No. of PLAs functioning:- 04 (Dehradun, Haridwar, Nainital and U.S. Nagar)

S.N.	Permanent Lok Adalats	Number of Sitzings	No. of cases pending as on 30.06.2023	No. of cases received during the Period	No. of cases settled during the Period	Total Value/Amount of Settlement (₹)	No. of cases pending as on 30.09.2023
1	Dehradun	34	249	35	19	15,60,074	263
2	Haridwar	33	71	19	06	-	77
3	Nainital	40	170	14	22	63,28,607	169
4	Udham Singh Nagar	72	126	42	143	1,70,76,386	49
	Total	179	616	110	190	2,49,65,067	558

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF CASES SETTLED THROUGH MEDIATION

(JULY-2023 TO SEPTEMBER-2023)

- (A) Total Number of ADR Centers : **04**
(B) Total No of Existing Mediation Centers other than ADR Centers : **18**
(C) Number of Mediators (Total of both in ADR Centers and Mediation Centers) : **88**

DISPOSAL

S.N.	DESCRIPTION	TOTAL
A	No. of cases received during the month	237
B	Cases settled through Mediation	37
C	Cases returned as not settled	158
D	Non-starter cases which were returned as mediation could not commenced	09
E	No. of Connected cases	01
F	No. of Cases pending at the end of the month	147

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF VICTIM COMPENSATION SCHEME U/S 357A Cr.P.C.

(JULY-2023 TO SEPTEMBER-2023)

No. of applications received directly by Legal Services Institutions (A)	No. of applications/orders marked/directed by any Court (B)	Total No. of applications received including Court orders (A+B)	No. of applications decided	No. of applications pending	Total Compensation Amount (₹)
34	23	57	53	239	54,15,000



CONTACT US

S.No.	ADDRESS	DESIGNATION	CONTACT NUMBER
01	Uttarakhand State Legal Services Authority, High Court Compound, Nainital	Member Secretary, Officer on Special Duty	Office: 05942-236762, Telefax: 236552
02	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Secretary	Office: 05942-232085, Telefax: 237721
03	District Legal Services Authority, Almora	Shri Shrikant Pandey, Chairman Ms. Shachi Sharma, Secretary	Office: 05962-231105, Mobile: 9459596757
04	District Legal Services Authority, Bageshwar	Shri R. K. Khulbey, Chairman Shri Jayendra Singh, Secretary	Office: 05963-221844 Mobile: 9412097865
05	District Legal Services Authority, Chamoli	Shri Dharam Singh, Chairman Ms. Simranjit Kaur, Secretary	Office: 01372-251529 Mobile: 9412079328
06	District Legal Services Authority, Champawat	Ms. Kahkasha Khan, Chairman Ms. Shivani Pasbola, Secretary	Office: 05965-230915 Mobile: 9411327127
07	District Legal Services Authority, Dehradun	Shri Pradeep Pant, Chairman Shri Harsh Yadav, Secretary	Office: 0135-2520873 Mobile: 9458346961
08	District Legal Services Authority, Haridwar	Shri S. K. Tyagi, Chairman Shri Abhay Singh, Secretary	Office: 01334-239780 Mobile: 9412071710
09	District Legal Services Authority, Nainital	Ms. Sujata Singh, Chairman Ms. Beenu Gulyani, Secretary	Office: 05942-237159 Mobile: 9411102137
10	District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	Shri Ajay Chaudhary, Chairman Shri Akram Ali, Secretary	Office: 01368-221815 Mobile: 9412079408
11	District Legal Services Authority, Pithoragarh	Shri Shanker Raj, Chairman Ms. Vibha Yadav, Secretary	Office: 05964-228322 Mobile: 9411330501
12	District Legal Services Authority, Rudraprayag	Shri Anuj Kumar Sangal, Chairman Shri. Ravi Ranjan, Secretary	Office: 01364-233796 Mobile: 9149109745
13	District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	Shri Yogesh Kumar Gupta, Chairman Shri. Alok Ram Tripathi, Secretary	Office: 01376-233424 Mobile: 9411558363
14	District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	Shri Prem Singh Khimal, Chairman Shri. Sachin Kumar Pathak, Secretary	Office: 05944-250682 Mobile: 9412088088
15	District Legal Services Authority, Uttarkashi	Shri Gurubaksh Singh, Chairman Ms. Shweta Rana, Secretary	Office: 01374-222711 Mobile: 9412078165

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,

e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

website : www.slsa.uk.gov.in

Portal For Free Legal Aid: <https://uklegalaidservices.uk.gov.in>

Facebook Link: <https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa>

Facebook Page Link: <https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873>

Youtube Link: <https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ>

TOLL FREE NO. 18001804000, 15100